हिमाचल प्रदेश सरकार

# स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

## वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
## (Annual Administrative Report)

## वर्ष 2022–23

(01–04–2022 से 31–03–2023)

# स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

# वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
## (Annual Administrative Report)

## वर्ष 2022–23

(01–04–2022 से 31–03–2023)

# सूचक


| क्रम संख्या | विषय सूची | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1. | प्रस्तावना | 1–4 |
| 2. | स्वास्थ्य एवं अन्य सम्बन्धित सूचक | 4 |
| 3. | प्रदेश में चिकित्सा संस्थानों का ढांचा तथा जिलावार ब्यौरा | 5–6 |
| 4. | स्वास्थ्य विभाग का प्रशासनिक ढांचा | 7 |
| 5. | स्वास्थ्य विभाग में मुख्य श्रेणियों के स्वीकृत एवम् भरे पदों का ब्यौरा | 7–9 |
| 6. | बजट का ब्यौरा | 9–10 |
| 7. | **राष्ट्रीय कार्यक्रम** | |
| | (i) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन | 10–21 |
| | (ii) प्रजनन एवम् बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम | 21–26 |
| | (iii) राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता नियन्त्रण कार्यक्रम | 26 |
| | (iv) राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम | 27 |
| | (v) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम | 27–28 |
| | (vi) राष्ट्रीय क्षय–रोग उन्मूलन कार्यक्रम | 28–30 |
| | (vii) राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियन्त्रण कार्यक्रम | 31 |
| | (viii) राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम | 31–36 |
| 8. | **अन्य कार्यक्रम** | |
| | (i) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना | 36–38 |
| | (ii) राष्ट्रीय एम्बुलैंस सेवा | 38–39 |
| | (iii) आई. डी. एस. पी. | 40–41 |
| | (iv) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम | 41 |
| | (v) कैंसर, मधुमेह, हृदय रोगों तथा स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियन्त्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम। | 41–42 |
| | (vi) वृद्धों के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम | 42 |
| | (vii) कायाकल्प कार्यक्रम | 42–43 |
| | (viii) जन्म–मृत्यु पंजीकरण प्रणाली | 43 |
| | (ix) सूचना, शिक्षा एवम् सम्प्रेषण कार्यक्रम | 43–44 |
| | (x) चिकित्सा संस्थाओं के भवन निर्माण कार्यक्रम | 45 |
| 9. | **प्रशिक्षण कार्यक्रम** | |
| | (i) राज्य संस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिमहल, शिमला | 45–46 |
| | (ii) क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र छेब, कांगड़ा | 47 |
| 10. | उपचारित रोगियों का विवरण | 48–49 |
| 11. | सूचना का अधिकार अधिनियम | 50 |
| 12. | प्रदेश में राज्य, जिला तथा खण्ड स्तर के कार्यालयों में दूरभाष की सूची। | 51–54 |

## 1. प्रस्तावना

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं जिनमें आरोग्यकारी, निवारण एवम् पुनर्वासन जैसी सेवाएं सम्मिलित हैं, एक कल्याणकारी राज्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्रदेश सरकार लोगों का जीवन स्तर सुधारने में कटिबद्ध है और इस दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य वितरण प्रणाली में सुधार, परिवार कल्याण, मातृ एवम् शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप प्रदेश ने कुछ स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचकांकों में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। इन उपलब्धियों से प्रदेश सरकार की कटिबद्धता, जनता की सक्रिय भागीदारी व सहयोग और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वालों की निष्ठा व समर्पण का पता चलता है।

हिमाचल प्रदेश की 90% जनसंख्या गांव में रहती है और इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य संस्थाओं में सुधार करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है ताकि सभी को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सके। यद्यपि राष्ट्रीय औसत की तुलना में हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सूचक काफी बेहतर हैं फिर भी स्वास्थ्य सेवाओं में और अधिक सुधार के लिए सरकार कृत संकल्प है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां प्राप्त करने के बावजूद, प्रदेश को अब उपलब्धियों की द्वितीय कड़ी, जहां सेवा की गुणवत्ता एवं कारगरता अति–महत्वपूर्ण है, इस पर विभाग अपना ध्यान केन्द्रित कर रहा है। प्रदेश में रोगों पर निगरानी रखने हेतु व संक्रामक रोगों पर नियन्त्रण के लिए एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम को लागू किया गया है। मातृ–शिशु स्वास्थ्य पर केन्द्रित आर.सी.एच–II कार्यक्रम पहले ही आरम्भ किया जा चुका है तथा इन सभी प्रयासों को सार्थक बनाने के लिए प्रदेश नागरिक स्वास्थ्य प्रशासनिक क्षमता एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए निरंतर प्रयासरत है। जिसके अन्तर्गत स्वास्थ्य उप–केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के ढांचे को मजबूत किया जा रहा है तथा स्वास्थ्य सेवाओं में जनभागीदारी को बढ़ावा दिया गया है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य उद्देश्य 'सभी को स्वास्थ्य' के लक्ष्य को प्राप्त करना है। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी बाधाओं को हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि लोगों के जीवन में सुधार आ सके ।

मण्डी, धर्मशाला, सोलन, कुल्लू, बिलासपुर व ऊना में जिला स्तर पर क्षेत्रीय डायग्नोस्टिक केन्द्रों की स्थापना की गई है। अब प्रदेश में 19 स्वास्थ्य संस्थानों में सी.टी.स्कैन की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है प्रदेश सरकार स्वास्थ्य संस्थानों एवं उपकरणों की मुरम्मत व रख–रखाव हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवा रही है। प्रदेश सरकार का यह प्रयास रहा है कि हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी प्रशिक्षित उम्मीदवारों को स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती किया जाये।

हिमाचल प्रदेश के मैडिकल कॉलेजों से अपनी शिक्षा/प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले सभी चिकित्सकों को प्रदेश सरकार द्वारा रिक्त पदों पर अनुबन्ध के आधार पर नौकरी प्रदान की जा रही है।

प्रदेश सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि पुरुष व महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को केवल स्वास्थ्य उप–केन्द्रों में ही तैनात किया जाये तथा स्टॉफ नर्सों की तैनाती उन्हीं स्वास्थ्य संस्थानों पर की जा रही है जहां पर अन्तरंग रोगी सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

चिकित्सकों व पैरा–मैडीकल स्टॉफ को स्थानान्तरण नीति के अनुसार ही सरकार के अनुमोदन के उपरान्त ही जनहित में प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष के द्वारा स्थानान्तरण के आदेश जारी किये जाते हैं।

विभाग ने मुख्यमंत्री निशुल्क दवाई योजना 28–9–2017 से आरम्भ की है। जिसके तहत आंचलिक चिकित्सालयों और क्षेत्रीय चिकित्सालयों में 456 दवाइयां एवं 131 अन्य उपयोग होने वाली सामग्री, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और नागरिक चिकित्सालयों में 456 दवाइयां एवं 131 अन्य उपयोग होने वाली सामग्री, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 174 दवाइयां एवं 53 अन्य उपयोग होने वाली सामग्री और स्वास्थ्य केन्द्रों में 42 दवाइयां प्रदान की जा रही हैं। दवाइयों की खरीद विभाग ई–निविदा के माध्यम से रेट कॉन्ट्रेक्ट द्वारा सुनिश्चित कर रहा है।

स्वास्थ्य विभाग में उपकरणों की खरीद हेतु सचिव (स्वास्थ्य) हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में स्थाई विभागीय क्रय समिति का गठन किया गया है। जिसकी देख–रेख में ही उपकरणों का क्रय किया जा रहा है तथा इस समिति में विशेषज्ञ चिकित्सकों को भी आमन्त्रित किया जाता है। जो उपकरण/मशीनरी आदि स्वास्थ्य विभाग में क्रय की जानी होती है उसके लिए समाचार–पत्रों के माध्यम से खुली निविदाएं आमन्त्रित कर गुणवत्ता व दर की तुलना कर स्त्रोतों को अनुमोदित किया जाता है। वर्ष 2018–19 में हिमाचल प्रदेश में जैम सैक्टर शुरू किया गया है, जिसके तहत विभाग ई–निविदा से औषधि क्रय कर रहा है।

वर्तमान समय में प्रचलित सरकार की औषधि क्रय नीति के अनुरूप औषधि–क्रय के मद में उपलब्ध कुल वार्षिक बजट के विरुद्ध बजट के अधिकांश भाग की औषधियां स्वास्थ्य विभाग शिमला के माध्यम से क्रय की जा रही हैं। इस क्रय हेतु उपरोक्त निदेशालय हर वर्ष समाचार पत्रों के माध्यम से खुली निविदाएं आमन्त्रित करता है तथा प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में गठित "राज्य स्तरीय भण्डार क्रय समिति" की देख–रेख में गुणवत्ता व मूल्य की तुलना करने के पश्चात् औषधियों की दरें व स्रोत अनुमोदित किए जाते हैं। राज्य स्तरीय भण्डार क्रय समिति की सहायता हेतु विशेषज्ञों की एक उप–समिति का भी गठन किया गया है।

नई नीति के अनुसार अब औषधि क्रय हेतु मांग पत्र रोगी कल्याण समिति के स्तर पर तैयार किया जा रहा है तथा इस हेतु औषधि क्रय के मद में उपलब्ध पूरे बजट को मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से उनको उपलब्ध करवाया जा रहा है। औषधि क्रय हेतु आबंटित कुल बजट के 15 प्रतिशत अंश को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए निर्धारित किया गया है।

सरकार की इस क्रय नीति के चलते स्वास्थ्य विभाग उच्च गुणवत्ता की औषधियां अत्यंत प्रतियोगी व कम मूल्य पर क्रय करने में सक्षम हुआ है एवम् संकट–प्रबन्धन में अधिक दक्षता आई है, क्योंकि जीवन–रक्षक औषधियों की उपलब्धता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई हैं।

## प्रसव–पूर्व सुविधा केन्द्रों का पंजीकरण

पिछले दशक में प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात में जो गिरावट आई थी उसमें इस दशक में वृद्धि दर्ज की गई। यह अनुपात अब 968 से 972 हो गया है। 0–6 आयु वर्ग में भी लिंग अनुपात में वृद्धि हुई है अब यह 896 से 909 हो गया है । भ्रूण हत्या को रोकने के लिए विभाग ने कई कदम उठाए हैं और "प्रसव पूर्व निदान केन्द्रों" का पंजीकरण पूरे प्रदेश में अनिवार्य कर दिया गया है। गर्भावस्था में बच्चे का लिंग बताना सम्बंधित विधान के अन्तर्गत एक अपराध है इसका प्रचार–प्रसार किया जा रहा है ।

## पंचायती राज और स्वास्थ्य कार्यक्रम

विभाग की एक और उपलब्धि, पंचायती राज को स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों के साथ जोड़ना है। अच्छा स्वास्थ्य अनेक बातों पर निर्भर करता है, जैसे पर्याप्त भोजन, आवास व्यवस्था, मूल सुविधाएं, पीने के साफ पानी की उपलब्धता, सुचारू जीवन शैली, पर्यावरण प्रदूषण तथा संक्रामक रोगों के प्रकोप से बचाव इत्यादि। अच्छे स्वास्थ्य की सीमा महज चिकित्सक की देख–रेख से कहीं अधिक विस्तृत और विशाल है।

इसके लिए पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया है। इस समिति में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों जैसे महिला एवं बाल विकास, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा इत्यादि विभागों के सदस्य और कुछ मनोनीत सदस्य सम्मिलित हैं।

## सामुदायिक वित्तीय प्रबन्धन

सामुदायिक वित्तीय प्रबन्धन द्वारा वित्त साधन जुटाना इसलिए ज़रूरी समझा जा रहा है कि बढ़ती हुई तकनीक से लैस सरकारी अस्पताल भी ऐसे हों जो गैर–सरकारी चिकित्सालयों की बराबरी कर सकें। इसके लिए सरकार ने आंचलिक/क्षेत्रीय/नागरिक चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य

केन्द्रों में "रोगी कल्याण समितियों" का गठन किया है । यह समितियां अपने आप में पूर्ण स्वायत्त है और समुदाय से वित्त जुटा कर अस्पताल को बेहतर बनाने में सक्षम है।

विकेन्द्रीकरण के आधार पर स्थानीय निर्णय स्थान विशेष पर लिए जाने के अधिकार से रोगियों के कल्याण हेतु यह एक प्रगतिशील पग है। इस समय प्रदेश में आंचलिक/क्षेत्रीय/नागरिक चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 770 रोगी कल्याण समितियां पंजीकृत की गई हैं।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से भारत सरकार प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत चिकित्सा संस्थाओं को सीधे रूप से उपकरण तथा अन्य सम्बन्धित सामग्री उपलब्ध करवा रही है। विभिन्न स्वास्थ्य सूचकों में सुधार लाने हेतु कार्यक्रम के अन्तर्गत चिकित्सा संस्थाओं में 24 घंटे प्रसव की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए चरणबद्ध तरीके से चिकित्सा संस्थानों का चयन किया गया है।

प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि स्वास्थ्य प्रबन्धन और सूचना प्रणाली में सूचना विज्ञान को आरम्भ किया जाएगा। इसके साथ-साथ प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के कार्यालयों व चिकित्सा खण्डों में भी कम्प्यूटर उपलब्ध करवा दिये गये हैं और इन्हें प्रबन्धन सूचना प्रणाली से जोड़ा गया है।

प्रदेश में बेहतर तथा सस्ती के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य देख-रेख कार्यक्रमों को पुनर्गठित एवम् पुनर्निविन्यासित किया गया है। प्रदेश सरकार राज्य में चिकित्सा संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, इन में नवीनतम उपकरण तथा विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध करवा रही हैं ताकि लोगों को विशेषज्ञता-युक्त सेवाओं को उपलब्ध करने के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े।

प्रदेश में चिकित्सा संस्थाओं में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी की पूर्ति हेतु विभाग विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया समय-समय पर की जा रही है। इसके साथ-साथ विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं में मैडीकल एवम् पैरा-मैडीकल कर्मियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों को इन्दिरा गांधी मैडीकल कॉलेज शिमला, राज्य संस्थान, स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण परिमहल, शिमला तथा क्षेत्रीय परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र छैब, कांगड़ा में विभिन्न प्रशिक्षणों का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए चिकित्सकों की नियुक्तियां समय-समय पर की जा रही हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी से निपटने के लिए सरकार चिकित्सकों को विशेष प्रशिक्षण के लिए प्रदेश में तथा प्रदेश से बाहर प्रशिक्षण देने के लिए प्रयत्नशील है। प्रदेश में चिकित्सा संस्थाओं में परिचारिकाओं की कमी को पूरा करने के लिए सरकार कारगर नीति तैयार कर रही है ताकि अधिक से अधिक नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र/संस्थान खोलने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा सके ।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश उत्तरी भारत में अग्रिम स्थान अर्जित करने वाला राज्य माना जाता है और भारत के पहाड़ी राज्यों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए विकास के लिए आदर्श राज्य बनने में अग्रसर है। प्रशासन को प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से विभाग ने वित्तीय एवम् प्रशासनिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया है और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक शक्तियों को प्रत्यायोजित किया गया है।

रोगियों को सही दवाइयां मिल पाना सुनिश्चित करने और एक समान दवाइयों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश में आवश्यक दवा-नीति तैयार की गई है। इस नीति के अन्तर्गत दवाइयां इस तरह से रखी जा रही है ताकि उपलब्ध दवाइयों की धनराशि से दवाइयों की मांग की अधिकतम पूर्ति की जा सके।

प्रदेश सरकार मलेरिया, कुष्ठ रोग, पोलियो, गिल्लड़ इत्यादि रोगों के उन्मूलन तथा अन्य बीमारियों जैसे एड्स, मधुमेह, पानी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों इत्यादि के मामलों में कमी लाने के लिए वचनबद्ध है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार अधिक संसाधन जुटा रही है। प्रदेश में इन संसाधनों की प्राप्ति आन्तरिक तथा बाह्य स्त्रोतों से की जा रही है। क्षय-रोग तथा एड्स रोग नियन्त्रण कार्यक्रमों के लिए विश्व-बैंक से सहायता मिल रही है।

चिकित्सालयों में सुरक्षा, रोगियों से मिलने वाले व्यक्तियों के प्रवेश को नियन्त्रित और अवांछनीय तत्वों के प्रवेश पर रोक लगाने, भीड़ को नियन्त्रित करने, जिससे रोगियों तथा सेवाएं प्रदान करने वालों को असुविधा न हो, को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से सरकार ने 100 व इससे अधिक बिस्तारों की संख्या वाले चिकित्सालयों में सुरक्षा का कार्य कानूनन गठित व पंजीकृत निजी सुरक्षा एजैंसियों तथा गृह रक्षा विभाग को सौंपा गया है।

जन–जातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों जैसे जिला लाहौल–स्पीति, चम्बा जिला के पांगी, भरमौर तथा तीसा, किन्नौर जिला के सांगला, पूह तथा निचार जिला शिमला के चिड़गांव, नेरवा तथा टिक्कर और मंडी जिला के पधर खण्ड में अनुबन्ध पर नियुक्तियों के लिए सामान्य व विशेषज्ञ चिकित्सकों को विशेष प्रोत्साहन राशि पैंतीस हजार व पचपन हजार रुपये प्रति माह का प्रावधान है। किन्नौर जिला के भावानगर, कुल्लू जिला के निरमण्ड तथा आनी, मंडी जिला के करसोग और जंजैहली, चम्बा जिला के पुखरी, चौरी, किहार तथा समोट, सिरमौर जिला के शिलाई तथा संगड़ाह, कांगड़ा जिला के महाकाल और जिला शिमला के ननखड़ी, मतियाना, कोटखाई तथा कुमारसैन खण्डों में यह प्रोत्साहन राशि तीस हजार व पैंतालीस हजार रुपये है ।

## 2. स्वास्थ्य एवं अन्य सम्बन्धित सूचक

प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को प्राथमिकता देने व स्वास्थ्य ढांचे को विकसित करने के परिणामस्वरूप प्रदेश के स्वास्थ्य सूचकांकों में सकारात्मक परिणाम निकले हैं। ये सूचकांक राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर हैं:–

| क्र0 सं0 | पैरामीटर | हिमाचल प्रदेश | राष्ट्रीय स्तर पर |
|---|---|---|---|
| 1. | जन्म दर (प्रति हजार जनसंख्या) | 15.3 | 19.5 |
| 2. | मृत्यु दर (प्रति हजार जनसंख्या) | 6.8 | 6.0 |
| 3. | शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार जीवित जन्म) | 17 | 28 |
| 4. | कुल प्रजनन दर | 1.6 | 2.1 |
| 5. | जन्म के समय लिंग अनुपात (2017–19) | 949 | 904 |
| 6. | जन्म के समय वर्षों में जीवन की प्रत्याशा दर (2014–18) | **72.9** | **69.4** |
| | पुरुष | 69.6 | 68.2 |
| | महिला | 76.8 | 70.7 |
| 7. | जनसंख्या 2011 के अनुसार | | |
| | महिलाएं प्रति हजार पुरुष | 972 | 943 |
| | 0–6 आयुवर्ग में लिंग अनुपात | 909 | 919 |
| | जनसंख्या का घनत्व | 123 | 368 |
| | कुल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता | 90.00 | 68.8 |
| | साक्षरता दर प्रतिशतता (कुल) | 82.80 | 72.99 |
| | पुरुष | 89.53 | 80.89 |
| | महिला | 75.93 | 64.64 |

**नमूना पंजीयन पद्धति SRS 2020 के अनुमानों के अनुसार**

## 3. प्रदेश में चिकित्सा संस्थानों का ढांचा तथा जिलावार ब्यौरा

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं निम्न स्वास्थ्य संस्थाओं के माध्यम से प्रदान की जा रही है :–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | चिकित्सा महाविद्यालय | 6 (3 चिकित्सा महाविद्यालय क्षेत्रीय चिकित्सालय में चल रहे हैं) |
| 2. | राज्य मातृ और शिशु चिकित्सालय | 1 |
| 3. | आंचलिक चिकित्सालय | 3 |
| 4. | क्षेत्रीय चिकित्सालय | 9 |
| 5. | नागरिक चिकित्सालय | 90 |
| 6. | ई.एस.आई. चिकित्सालय | 2 |
| 7. | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र | 105 |
| 8. | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | 580 |
| 9. | ई.एस.आई औषधालय/संस्थान | 16 |
| 10. | स्वास्थ्य उपकेन्द्र | 2114 |

### विशिष्ट स्वास्थ्य संस्थाएं:

| | |
|---|---|
| मानसिक स्वास्थ्य एवम् पुनर्वास चिकित्सालय | 1 |
| टी. बी. सेनाटोरियम | 1 |
| जिला क्षयरोग केन्द्र | 12 |
| जिला क्षयरोग उप–केन्द्र | 74 |
| माइक्रोस्कोपिक केन्द्र | 218 |
| अस्थाई कुष्ठ रोग चिकित्सालय/वार्ड | 3 |
| जिला आर.टी.आई. क्लिनिक | 12 |
| आर.टी.आई. उप–क्लिनिक | 59 |

### अन्य सुविधाएं:

| | |
|---|---|
| सी.टी. स्कैन | 19 |
| डायलिसिस केन्द्र | 15 |
| कीमोथैरेपी | 11 (9 जिला चिकित्सालयों व 2 नागरिक चिकित्सालयों में) |
| एक्सरे | 193 |
| अल्ट्रासाउंड | 80 |
| कैथलैब | 1 |
| विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं में स्वीकृत बिस्तरों की संख्या | 15894 |

प्रदेश में जिलावार चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ई.एस.आई. औषधालयों तथा स्वास्थ्य उप–केन्द्रों का ब्यौरा 31–3–2023 तक इस प्रकार है:–

| क्र0 सं0 | जिला | चिकित्सालय | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | ई.एस.आई. औषधालय/ संस्थान | स्वास्थ्य उप–केन्द्र |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बिलासपुर | 5 | 7 | 37 | 1 | 120 |
| 2. | चम्बा | 9 | 5 | 46 | 0 | 177 |
| 3. | हमीरपुर | 6 | 2 | 32 | 0 | 150 |
| 4. | कांगड़ा | 23 | 19 | 86 | 1 | 440 |
| 5. | किन्नौर | 3 | 3 | 23 | 0 | 35 |
| 6. | कुल्लू | 6 | 8 | 25 | 0 | 108 |
| 7. | लाहुल–स्पीति | 3 | 1 | 16 | 0 | 37 |
| 8. | मण्डी | 21 | 89 | 88 | 0 | 335 |
| 9. | शिमला | 17 | 16 | 115 | 2 | 253 |
| 10. | सिरमौर | 6 | 8 | 49 | 3 | 148 |
| 11. | सोलन | 9 | 8 | 39 | 7 | 175 |
| 12. | ऊना | 6 | 9 | 24 | 2 | 136 |
| | **हि0 प्र0** | **114** | **104** | **580** | **16** | **2114** |

सीटी स्कैन की सुविधा इंदिरा गांधी चिकित्सालय शिमला, डॉ0 आर0पी0जी0एम0सी0 टांडा, डॉ0 वाई0एस0पी0 चिकित्सा महाविद्यालय नाहन, पंडित जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय चम्बा तथा राधा कृष्णन चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर, एक आंचलिक चिकित्सालय धर्मशाला, दो क्षेत्रीय चिकित्सालय, बिलासपुर, सोलन में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा तथा दो आंचलिक चिकित्सालय, मण्डी और शिमला, दो क्षेत्रीय चिकित्सालय, कुल्लू और ऊना, सात नागरिक चिकित्सालय, नूरपुर, पालमपुर, सुन्दरनगर, रोहडू, रामपुर, पांवटा साहिब और नालागढ़ में पब्लिक प्राइवेट सहभागिता के आधार पर सुविधा लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है।

प्रदेश में भारत सरकार द्वारा उप–स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर खोलने हेतु निर्धारित मापदण्ड का ब्यौरा इस प्रकार है :

| | जनसंख्या मापदण्ड (भारत सरकार) | राज्य में स्थिति |
|---|---|---|
| स्वास्थ्य उप–केन्द्र | 3000 | 3381 |
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | 20000 | 12324 |
| सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र | 80000 | 68077 |

ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की सबसे छोटी इकाई स्वास्थ्य उप–केन्द्र होता है जिसके माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के समस्त कार्यक्रमों जैसे जननी शिशु सुरक्षा, टीकाकरण, परिवार कल्याण तथा छोटी–छोटी बीमारियों की रोकथाम तथा बचाव के लिए सेवाएं प्रदान की जाती है। इसके साथ–साथ इन स्वास्थ्य उप–केन्द्रों में कार्यरत महिला एवं पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों की जानकारी भी देते हैं ।

## 4. स्वास्थ्य विभाग का प्रशासनिक ढांचा (Administrative Structure of Health Department)

प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रशासनिक ढांचे का विवरण इस प्रकार है:–

### राज्य स्तर पर

राज्य स्तर पर विभाग सचिव (स्वास्थ्य) के नियन्त्रण में कार्य कर रहा है तथा उनके सहयोग के लिए एक विशेष सचिव, एक संयुक्त सचिव, एक उप–सचिव कार्यरत है।

निदेशालय स्तर पर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, मिशन निदेशक (एन.एच.एम), अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशकों एवं उप–निदेशकों/राज्य कार्यक्रम अधिकारियों की सहायता से प्रदेश में चल रही स्वास्थ्य सेवाओं की देख–रेख कर रहे हैं ।

### जिला स्तर पर

जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी व जिला कार्यक्रम अधिकारियों के सहयोग से इन सेवाओं का कार्यान्वयन कर रहे हैं।

### खण्ड स्तर पर

खण्ड स्तर पर खण्ड चिकित्सा अधिकारियों को स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी बनाया गया है।

## वर्ष 2022–23 में नई नियुक्तियों का ब्यौरा

वर्ष 2022–23 में प्रदेश सरकार द्वारा 245 चिकित्सा अधिकारी अनुबन्ध पर व 106 विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी अनुबन्ध पर व 204 अनुबन्ध चिकित्सा अधिकारियों को नियमित, 107 परिचारिका अनुबन्ध पर व 160 परिचारिकाओं को नियमित, 3 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अनुबन्ध पर, 10 लिपिक, 1 सांख्यिकीय सहायक को अनुबन्ध पर, 2 आशुलिपिक अनुबन्ध पर, 171 फार्मासिस्ट को अनुबन्ध पर व 6 (अनुबन्ध) फार्मासिस्ट को नियमित, 2 रेडियोग्राफर अनुबन्ध पर व 1 रेडियोग्राफर को नियमित, 139 एम0एल0टी0 ग्रेड–II को अनुबन्ध पर व 1 (अनुबन्ध) एम0एल0टी0 ग्रेड–II को नियमित, 17 लैब एसिस्टैंट अनुबन्ध पर व 21 (अनुबन्ध) लैब एसिस्टैंट को नियमित, 17 ओ.टी.ए को अनुबन्ध पर, 17 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (करूणामूलक) को दैनिक मजदूरी पर और 42 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (जो दूसरे विभाग से भेजे गए) को दैनिक मजदूरी पर नियुक्तियां प्रदान की गई ।

## 5. स्वास्थ्य विभाग में मुख्य श्रेणियों के स्वीकृत एवं भरे पदों का ब्यौरा इस प्रकार है :–

| क्र0सं0 | पद का नाम | स्वीकृत पद | भरे पद |
|---|---|---|---|
| 1. | निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं | 1 | 1 |
| 2. | मिशन निदेशक (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) | 1 | 1 |
| 3. | अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक | 1 | 1 |
| 4. | संयुक्त स्वास्थ्य निदेशक | 4 | 2 |
| 5. | उप–स्वास्थ्य निदेशक | 6 | 3 |

| क्र0स0 | पद का नाम | स्वीकृत पद | भरे पद |
|---|---|---|---|
| 6. | सहायक निदेशक (जनांनकी एवम् अनुसन्धान) | 1 | 0 |
| 7. | सहायक निदेशक (सांख्यिकीय) | 1 | 1 |
| 8. | उप–नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) | 1 | 1 |
| 9. | सहायक नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) | 19 | 19 |
| 10. | मुख्य चिकित्सा अधिकारी | 12 | 11 |
| 11. | चिकित्सा अधीक्षक | 19 | 16 |
| 12. | खंड चिकित्सा अधिकारी | 128 | 108 |
| 13. | प्रधानाचार्य प्रशिक्षण | 2 | 1 |
| 14. | चिकित्सक | 2991 | 2699 |
| 15. | सहायक निदेशक नर्सिंग | 1 | 0 |
| 16. | नर्सिंग अधीक्षक | 23 | 22 |
| 18. | पी0 एन0 ओ0 | 11 | 9 |
| 19. | मैट्रन/उप/सहायक नर्सिंग अधीक्षक | 115 | 115 |
| 20. | सिस्टर टियूटर | 47 | 18 |
| 21. | वार्ड सिस्टर/नर्सिंग सिस्टर | 681 | 673 |
| 22. | स्टाफ नर्स | 3795 | 3158 |
| 23. | नर्सिंग और डरली | 55 | 55 |
| 24. | दाई | 481 | 325 |
| 25. | ऑपथैलमिक ऑफिसर | 184 | 104 |
| 26. | चीफ फार्मासिस्ट | 136 | 123 |
| 27. | फार्मासिस्ट | 1236 | 1069 |
| 28. | चीफ लैब तकनीशियन | 45 | 41 |
| 29. | सीनियर लैब तकनीशियन | 956 | 485 |
| 30. | लैब एसिस्टैंट | 331 | 221 |
| 31. | फिजियोथिरैपिस्ट | 37 | 8 |
| 32. | डाईटिशियन | 11 | 1 |
| 33. | सीनियर रेडियोग्राफर | 43 | 35 |
| 34. | रेडियोग्राफर | 280 | 180 |
| 35. | सी.एस.एस.डी. पर्यवेक्षक | 29 | 20 |
| 36. | ओ.टी.ए. | 317 | 98 |
| 37. | एसिस्टैंट मलेरिया ऑफिसर | 17 | 0 |
| 38. | एसिस्टैंट लैपरोसी ऑफिसर | 8 | 4 |
| 39. | लैपरोसी वर्कर | 69 | 1 |
| 40. | एम0ई0आई0ओ0 | 12 | 10 |
| 41. | स्वास्थ्य शिक्षक | 102 | 85 |
| 42. | पुरुष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक | 423 | 378 |
| 43. | महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक | 358 | 354 |
| 44. | पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 2072 | 226 |
| 45. | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 2301 | 1210 |
| 46. | प्रशासनिक अधिकारी | 6 | 0 |
| 47. | अधीक्षक ग्रेड–I | 28 | 19 |
| 48. | अधीक्षक ग्रेड–II | 117 | 114 |

| क्र0सं0 | पद का नाम | स्वीकृत पद | भरे पद |
|---|---|---|---|
| 49. | विधि अधिकारी | 7 | 2 |
| 50. | वरिष्ठ सहायक | 266 | 254 |
| 51. | लिपिक | 637 | 391 |
| 52. | कनिष्ट कार्यालय सहायक (IT) | 331 | 165 |
| 53. | निजी सचिव | 1 | 1 |
| 54. | निजी सहायक | 6 | 4 |
| 55. | वरिष्ठ आशुलिपिक | 11 | 5 |
| 56. | कनिष्ठ आशुलिपिक | 16 | 2 |
| 57. | आशुलिपिक | 75 | 20 |
| 58. | सांख्यिकीय विद् | 11 | 8 |
| 59. | वरिष्ठ सांख्यिकीय सहायक | 43 | 19 |
| 60. | कनिष्ठ सांख्यिकीय सहायक | 14 | 4 |
| 61. | चालक | 578 | 250 |
| 62. | कुक | 29 | 0 |
| 63. | सफाई कर्मचारी | 193 | 0 |
| 64. | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 3213 | 2426 |
| | विभाग में डाइंग काडर घोषित पदों का ब्यौरा | | |
| 1. | दफतरी | 1 | 1 |
| 2. | हाउस किपर | 1 | 1 |
| 3. | क्ष–किरण सहायक | 8 | 8 |
| 4. | डार्क रूम सहायक | 4 | 4 |
| 5. | सी0एस0एस0 डी0 तकनीशियन | 2 | 2 |
| 6. | क्लीनर | 7 | 7 |
| 7. | दर्जी | 5 | 5 |
| 8. | कुक | 37 | 36 |
| 9. | सफाई कर्मचारी | 450 | 445 |

## 6. बजट का ब्यौरा (Budget Details)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनिमय तथा दन्त स्वास्थ्य विभाग को छोड़ कर वर्ष 2022–23 के बजट एवं व्यय का विवरण इस प्रकार है :–

| मांग संख्या | | बजट (करोड़ों में) (स्वीकृत) | संशोधित बजट | व्यय (करोड़ों में) |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tentative | |
| 9 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 1549.28 | 1899.68 | 1727.40 |
| 15 | पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना | 19.74 | 18.84 | 17.30 |
| 19 | समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | 3.06 | 6.58 | 6.50 |
| 24 | लेखन एवं मुद्रण सामग्री | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 31 | अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र उप–योजना | 124.97 | 132.77 | 119.93 |
| 32 | अनुसूचित जाति उप योजना | 219.26 | 278.76 | 266.91 |
| **कुल..** | | **1916.45** | **2336.77** | **2138.18** |

| | मांग संख्या | बजट (करोड़ों में) |
|---|---|---|
| 9 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (एलोपैथी) | 1507.42 |
| 15 | पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना | 19.53 |
| 19 | समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | 3.06 |
| 24 | लेखन एवं मुद्रण सामग्री | 0.15 |
| 31 | अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र उप–योजना | 141.33 |
| 32 | अनुसूचित जाति उप–योजना | 250.27 |
| | **कुल..** | **1921.76** |

## 7. राष्ट्रीय कार्यक्रम (National Programme)

विभाग में चलाए जा रहे विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों का ब्यौरा इस प्रकार है:–

### (i) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission)

भारत सरकार ने ग्रामीणजनों, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं और बच्चों को व्यापक समाकलित स्वास्थ्य देख–रेख प्रदान करने के उद्देश्य से देशभर में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005–2012) आरम्भ किया गया था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का कार्यान्वयन वर्ष 2005 में शुरू किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में, राज्य और जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के सशक्तिकरण के लिए तकनीकी कार्यक्षमताओं तथा स्वच्छता व साफ–सफाई के साथ स्वास्थ्य के समेकन को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त परिव्यय की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रमों के विकेन्द्रीकरण और निधियों के प्रवाह के साथ यह स्वास्थ्य के जिला प्रबन्धन के लिए सर्वशिक्षा अभियान की तरह ही भूमिका तैयार करेगा।

इस मिशन के अन्तर्गत मुख्य लक्ष्य निम्न प्रकार से है :–

- शिशु मृत्यु दर घटाकर 25/1000 जीवित जन्मों तक लाना
- मातृ मृत्यु दर घटाकर 100/1,00,000
- समग्र प्रजनन दर को 1.8 पर स्थिर रखना
- प्रदेश को मलेरिया मुक्त करना और इससे होने वाली मृत्यु को शून्य करना है
- काला अजार मुक्त करना एवं लगातार ऐसी स्थिति बनाये रखना
- हिमाचल प्रदेश में कुष्ठ रोग की व्याप्ति दर– 0.20/10,000 से भी कम है और इस रोग को समाप्त किया जाना है।
- क्षय रोग डॉट सेवायें– समूची मिशन अवधि के दौरान 85 प्रतिशत उपचार दर बनाए रखना
- प्रथम सन्दर्भित रेफरल इकाइयों का उपयोग, जो कि 20 प्रतिशत से कम है, बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक लाना।

## इस मिशन के अंतर्गत निम्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:

### जननी–शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

15 अगस्त, 2011 से जननी–शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का विधिवत शुभारम्भ किया गया। सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सभी गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को निम्नलिखित सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं :–

**निःशुल्क जांच.**–सभी गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य संस्थान में पंजीकरण करवाने से लेकर शिशु जन्म तक सभी प्रकार की जांच निःशुल्क प्रदान की जा रही है।

**निःशुल्क परीक्षण.**–गर्भावस्था के दौरान खून, पेशाब टेस्ट व अल्ट्रासोनोग्राफी आदि सभी परीक्षण निःशुल्क किये जा रहे हैं।

**निःशुल्क दवाइयां.**–गर्भावस्था के दौरान सभी आवश्यक दवाइयां निःशुल्क दी जा रही है

**निःशुल्क आहार.**–अस्पताल में सामान्य प्रसव के दौरान 3 दिन तथा ऑप्रेशन से प्रसव के दौरान 7 दिनों तक निःशुल्क आहार दिया जा रहा है।

**निःशुल्क वाहन की सुविधा.**–गर्भावस्था के दौरान घर से स्वास्थ्य संस्थान आने के लिए राष्ट्रीय एम्बुलैंस स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत निःशुल्क एम्बुलैंस सेवा 108 व जटिलता होने पर एक स्वास्थ्य संस्थान से दूसरे स्वास्थ्य संस्थान तक निःशुल्क एम्बुलैंस सेवा तथा वापिस घर पहुंचाने के लिए जननी एक्सप्रैस 102 वाहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

**निःशुल्क प्रसव.**–सामान्य प्रसव व आप्रेशन द्वारा प्रसव करवाने पर किसी भी अस्पताल में शुल्क नहीं लिया जा रहा है।

**नवजात शिशु के लिए एक साल तक निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा.**–जन्म से एक वर्ष की आयु तक शिशु को प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में मुफ्त जांच व उपचार की सुविधा दी जा रही है।

जननी एक्सप्रैस 102 एम्बुलैंस का शुभारम्भ माननीय मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश के कर कमलों द्वारा 15 नवम्बर, 2014 को प्रदेश की जनता को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत लोगों को समर्पित की गई जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार एवं जी0वी0के0 ई0एम0आर0आई0 के संयुक्त प्रयासों द्वारा सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के अन्तर्गत चलाई जा रही हैं, जिसके अन्तर्गत गर्भवती माता और नवजात शिशु को अस्पताल से घर तक छोड़ने की निःशुल्क सुविधा दी जा रही है। यह सेवा टोल फ्री नम्बर 102 के माध्यम से उपलब्ध होती है और इसका संचालन प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे तक किया जा रहा है। 102 पर की गई कोई भी कॉल जान बचाने जैसी आपातकालीन कॉल के रुप में ली जाती है। जननी एक्सप्रैस 102 एम्बुलैंस सेवा नई उपलब्धियां हासिल कर रही है।

### जिला–वार संस्थागत प्रसव 2022–23

| जिला | संस्थागत प्रसव | घरेलू प्रसव | कुल प्रसव | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|
| बिलासपुर | 3431 | 17 | 3448 | 99.51 |
| चम्बा | 4879 | 2245 | 7124 | 68.49 |
| हमीरपुर | 6767 | 14 | 6781 | 99.79 |
| कांगड़ा | 16646 | 198 | 16844 | 98.82 |
| किन्नौर | 338 | 38 | 376 | 89.89 |
| कुल्लू | 4630 | 282 | 4912 | 94.26 |

| जिला | संस्थागत प्रसव | घरेलू प्रसव | कुल प्रसव | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|
| लाहौल स्पीति | 64 | 10 | 74 | 86.49 |
| मण्डी | 9529 | 388 | 9917 | 96.09 |
| शिमला | 14054 | 238 | 14292 | 98.33 |
| सिरमौर | 5717 | 621 | 6338 | 90.20 |
| सोलन | 9548 | 267 | 9815 | 97.28 |
| ऊना | 6082 | 157 | 6239 | 97.48 |
| **हि0 प्र0** | **81685** | **4475** | **86160** | **94.81** |

भारत सरकार ने एन0एच0एम0 के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार को 10 मातृ एवं शिशु अस्पताल विंग की मंजूरी दी है जिनमें से दो एम0सी0एच0 विंग, पहला 100 बिस्तरों वाला के0एच0एन0, शिमला में और दूसरा 50 बिस्तरों वाला सिविल अस्पताल सुन्दरनगर में कार्यशील है। मातृ एवं शिशु अस्पताल विंग की नवीनतम स्थिति इस प्रकार है :

| क्र0 सं0 | संस्थान का नाम | बिस्तरों की संख्या | काम की शुरुआत | कार्यकारी एजेंसी | पूर्ण कार्य की प्रतिशतता | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | के0एन0एच0 | 100 | सितम्बर 2013 | एच0पी0पी0डब्ल्यू0डी0 | 100% | कार्यशील |
| 2. | सी0एच0 सुन्दरनगर | 50 | सितम्बर 2017 | सी0पी0डब्ल्यू0डी0 | 100% | कार्यशील |
| 3. | जेड0एच0 मण्डी | 100 | अप्रैल 2017 | एच0एस0सी0सी0 | 90% | कार्यशील |
| 4. | आर0एच0 कुल्लू | 100 | फरवरी 2019 | बी0एस0एन0एल0 | 60% | कार्यशील |
| 5. | डॉ0 आर0पी0जी0एच0सी0, टांडा | 200 | सितंबर 2019 | सी0पी0डब्ल्यू0डी0 | 56% | कार्य प्रगति पर है। |
| 6. | सी0एच0 नूरपुर | 50 | दिसंबर 2019 | बी0एस0एन0एल0 | 30% | कार्य प्रगति पर है। |
| 7. | आर0एच0 ऊना | 100 | दिसंबर 2019 | एच0पी0पी0डब्ल्यू0डी0 | 30% | कार्य प्रगति पर है। |
| 8. | आर0एच0 बिलासपुर | 50 | अप्रैल 2021 | एच0पी0पी0डब्ल्यू0डी0 | NA | कार्य प्रगति पर है। |
| 9. | डॉ0 वाई0एस0पी0जी0 एम0सी0, नाहन | 50 | एफ0सी0ए0 अनुमोदन लंबित | सी0पी0डब्ल्यू0डी0 | NA | |
| 10. | आर0एच0 सोलन | 50 | ड्राइंग लंबित | एच0पी0डब्ल्यू0डी0 | NA | |

# जननी सुरक्षा योजना (Janani Suraksha Yojana)

## नगद आर्थिक सहायता किसे मिलेगी :

1. गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाएं (बी.पी.एल. परिवार जिनका प्रसव घर पर हो या किसी भी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में हो या किसी भी मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में हो।

2. अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र की महिलाएं जिनका प्रसव किसी भी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में हो।

## कितनी आर्थिक सहायता मिलेगी :

1. सरकार ने जननी सुरक्षा कार्यक्रम (JSY) को 17 दिसंबर, 2019 को जननी सुरक्षा कार्यक्रम प्लस (JSY PLUS) में अपग्रेड कर दिया है और प्रोत्साहन राशि के वितरण के लिए वित्तीय मानदंडों को संशोधित किया है । बी0पी0एल0 गर्भवती महिलाओं के मामले में होम डिलीवरी के लिए रु0 500/– का वित्तीय लाभ और रु0 1100/– का वित्तीय लाभ ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र की बी0पी0एल0, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव करवाने पर दिया जा रहा है ।

## आर्थिक सहायता कब मिलेगी:

(i) राशि का भुगतान प्रसव के बाद परन्तु सात दिन के अन्दर संस्थान के प्रभारी द्वारा किया जायेगा।

(ii) घर पर होने वाले प्रसव में राशि का भुगतान स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा प्रसव के उपरान्त किया जायेगा। घर में प्रसव पर धनराशि एक सप्ताह पूर्व भी दी जा सकती है। भुगतान स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता करेगा ।

(iii) यदि किसी गर्भवती महिला का प्रसव उसकी मां के घर होता है, तो धनराशि का भुगतान उसी स्थान पर होगा जहां प्रसव हुआ है ।

(iv) यदि प्रसव प्रदेश के बाहर हुआ हो तो भी स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता धनराशि वितरित करेगा

## इस योजना की पात्रता के लिए अन्य शर्तें:

- यह आवश्यक है कि गर्भवती महिला का निकट के स्वास्थ्य केन्द्र या अस्पताल में पंजीकरण (Registration) हुआ हो तथा उसकी नियमित जांच होती रही हो ।

- महिला गरीब परिवार (बी0पी0एल0), अनुसूचित जाति या जनजातीय क्षेत्र से सम्बन्धित होनी चाहिए।

## पात्रता के लिए कौन से प्रमाण–पत्र चाहिए:

1. गरीबी रेखा से नीचे (BPL) का प्रमाण–पत्र
2. अनुसूचित जाति या जनजातीय प्रमाण–पत्र
3. सरकारी स्वास्थ्य संस्थान का गर्भावस्था पंजीकरण कार्ड

यदि पात्र महिला उपरोक्त प्रमाण–पत्र (BPL) स्थानीय ग्राम पंचायत के प्रधान से प्राप्त करती है तो उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। यह आवश्यक नहीं है कि प्रमाण–पत्र दण्डाधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। वर्ष 2022–23 में इस योजना के अन्तर्गत कुल 23000 के लक्ष्य के विरुद्व 14,453 गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

1. 9 फरवरी, 2021 को प्रदेश में 24 फर्स्ट रैफरल यूनिट अधिसूचित किये गए हैं। यह फर्स्ट रैफरल यूनिट सीजेरियन सैक्शन, नवजात शिशु देखभाल, बीमार बच्चों की आपातकालीन देखभाल, परिवार नियोजन सेवाओं, सुरक्षित गर्भपात सेवा उपचार सहित व्यापक प्रसूति देखभाल सेवायें प्रदान करते हैं ।

2. 16 फर्स्ट रैफरल यूनिट जो मैडिकल कालेज से अलग हैं उनमें प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन (Performance Linked Incentives) का प्रावधान किया गया है ।

3. राज्य में आशा वर्करज़ को 15–49 वर्ष की महिलाओं की मृत्यु के बारे 24 घंटे के भीतर जानकारी देने पर रु0 200 दिये जा रहे हैं।

## प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (Pradhan Mantri Surakshit Matritav Abhiyan)

प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान अगस्त 2016 में आरम्भ किया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को चिन्हित करना और समय पर उनका उपचार करना है। इस के अन्तर्गत हर माह की 9 तारीख को सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं का उनकी गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान निःशुल्क परीक्षण किया जाता है ताकि उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का पता लगाया जा सके और समय रहते उनका उपचार किया जा सके। वर्ष 2022–23 में कुल 56,167 गर्भवती महिलाओं का इस अभियान के अन्तर्गत परीक्षण किया गया जिनमें से 6,641 उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाएं थीं।

## रोगी कल्याण समितियां (Rogi Kalyan Samitis)

प्रदेश के जिला स्तर के चिकित्सालयों, नागरिक चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 770 रोगी कल्याण समितियां पंजीकृत की गई हैं।

## मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना

राज्य सरकार द्वारा "मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना" के अंतर्गत प्रदेश के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निम्न संख्या में दवाइयां एवम् उपभोग्य (सूइयां, पट्टियां इत्यादि) सभी मरीजों को निःशुल्क प्रदान किये जा रहे हैं। जिसका विवरण निम्न है:–

| क्र0सं0 | स्वास्थ्य संस्थान | निःशुल्क दवाइयों की संख्या | निःशुल्क उपभोग्यों की संख्या | कुल संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1. | जिला अस्पताल | 456 | 131 | 587 |
| 2. | नागरिक चिकित्सालय एवम् सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र | 456 | 131 | 587 |
| 3. | प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र | 174 | 53 | 227 |
| 4. | उप–स्वास्थ्य केन्द्र | 42 | – | 42 |

## नि:शुल्क रेडियोलोजिक्ल सेवायें

राज्य सरकार द्वारा निशुल्क रेडियोलोजिक्ल सेवाओं के अंतर्गत एम/एस करसना डायग्नोस्टिकस प्रा. लिमिटिड पुणे के सहयोग से पी0पी0पी0 मोड मे प्रदेश के 124 सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में नि:शुल्क रेडियोलोजिक्ल सेवायें प्रदान की जा रही हैं।

## बहु–विशेषज्ञता युक्त शिविर

राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क बहु–विशेषज्ञता युक्त शिविर योजना के अंतर्गत प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में शिविर लगाए जाते हैं। प्रत्येक शिविर में न्यूनतम 60 प्रमुख सर्जरी की जाती हैं, जिसमें 20 सामान्य सर्जरी, 20 प्रसूति और सामान्य सर्जरी और 20 Gynae सर्जरी शामिल हैं। वर्ष 2022–23 में 16 में से 16 शिविर लगाए गए।

## राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (RKSK)

भारत मे 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग मे 253 लाख किशोर हैं। इस आयु वर्ग में स्वस्थ वयस्कों में उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिए पोषण, शिक्षा, परामर्श और मार्गदर्शन की आवश्यकता वाले जीवन के एक क्षणिक चरण में व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। जो कई रोके जाने योग्य और उपचार योग्य स्वास्थ्य समस्याओं, कुपोषण, एनीमिया और अधिक वजन, शराब, तंबाकू और नशीली दवाओं के दुरुपयोग, मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं, चोटों और हिंसा जैसे पोषण संबंधी विकारों के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं।

### राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्यनीति है–

### साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड योजना

इस योजना का उद्देश्य एनीमिया के अंतरजनपदीय चक्र को तोड़ना है, जिससे पोषण में सुधार हो। 10–19 वर्ष की आयु के किशोर/किशोरियों में एनीमिया की व्यापकता और गंभीरता को कम करने के लिए सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/नगरपालिका स्कूलों में नामांकित छठी से 12वीं कक्षा की लड़कियों और लड़कों के स्कूल जाने वाले सभी स्कूलों को एक बार साप्ताहिक रूप से आईएफए की गोलियां दी जाती हैं।

हेल्मिनथिक इन्फेक्शन के नियंत्रण के लिए छह महीने के अंतराल में वर्ष में दो बार डी–वर्मिंग टेबलेट भी दी जाती हैं। आहार सेवन में सुधार के लिए और आंतों के कीडे के संक्रमण की रोकथाम के लिए जानकारी और परामर्श देने के साथ कार्रवाई की जाती है।

प्रमुख अभिसरण क्षेत्रों में शामिल हैं संयुक्त कार्यक्रम योजना, चिकित्सा अधिकारियों, नोडल सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्टाफ नर्स, स्कूल शिक्षक, निगरानी और एक व्यापक संचार घटक।

### किशोर स्वास्थ्य दिवस

किशोर स्वास्थ्य के लिए निवारक और प्रचारक हस्तक्षेप के साथ कवरेज में सुधार करने और किशोरों और हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाने और किशोर स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों और जरूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किशोर स्वास्थ्य दिवस स्कूल स्तर या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर आयोजित किया जाता है।

## नई दिशा केन्द्र

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.के.एस.के) अपने सुविधा आधारित दृष्टिकोण के तहत किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिक को मजबूत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालना है।

AFHC के प्रमुख अनुकूल घटक किशोरों के लिए सुविधा–आधारित नैदानिक और परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं।

राज्य में 101 नई दिशा केन्द्र कार्यरत हैं। वर्ष 2022–23 में इन क्लीनिकों में कुल 27,536 किशोरों को पंजीकृत किया गया 22,425 किशोरों को विभिन्न परामर्श सेवाएं दी गई।

## मासिक धर्म स्वच्छता कार्यक्रम

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने NHM के माध्यम से राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की कड़ी के रूप में 10 से 19 वर्ष की आयु की किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए मासिक धर्म स्वच्छता योजना को मंजूरी दी है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

1. किशोर लड़कियों में मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए
2. किशोरावस्था की लड़कियों में अच्छी गुणवत्ता वाले सैनिटरी नैपकिन का और उपयोग बढ़ाना
3. पर्यावरण के अनुकूल तरीके से सैनिटरी नैपकिन का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करना

आशा किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन एक रुपये प्रति पैकेट की दर से पैकेट वितरित करती है जो सुरक्षा के नाम से आता है। वर्ष 2022–23 में राज्य में लड़कियों को कुल 14,89,025 नैपकिन वितरित किए गए हैं।

## व्यापक सूचना केन्द्र (104 हेल्प लाईन):

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मार्च 2016 में सोलन में एक व्यापक सूचना केन्द्र स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त टोल फ्री स्वास्थ्य हेल्प लाईन (104) के माध्यम से चिकित्सकों के द्वारा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं सलाह एवं परामर्श एवं किशोरावस्था संबंधी समस्याओं का निदान किया जाता है। कोई भी नागरिक 104 स्वास्थ्य सहायता हेल्प लाईन के माध्यम से किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान के बारे में स्वास्थ्य सेवा संबंधी शिकायत दर्ज करवा सकता है। इस 104 हेल्प लाईन नम्बर के माध्यम से विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जानकारी भी प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों की निगरानी के लिए अब तक 29,29,994 कॉलें की गई। इसके अतिरिक्त 104 हेल्प लाईन के माध्यम से कुल 11,25,416 कॉलें प्राप्त हुई थी ।

## मानसिक स्वास्थ्य एवं नशामुक्ति कार्यक्रम

यह अनुमान है कि 6 से 7 प्रतिशत जनसंख्या मानसिक विकारों से ग्रस्त है। विश्व बैंक की रिपोर्ट (1993) से पता चला कि न्यूरो–साईकियाट्रिक डिसऑर्डर के कारण डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाईफ ईयर (डी0ए0एल0वाई0) नुकसान व्यक्तिगत रूप से लिया जाए तो डायरिया, मलेरिया, कृमि संक्रमण और तपेदिक की तुलना में बहुत अधिक है। साथ में ये विकार बीमारी के वैश्विक बोझ (जी0बी0डी0) का 12 प्रतिशत है चार परिवारों में से एक में व्यवहारिक या मानसिक विकार (डब्ल्यू0एच0ओ0 2001) के साथ कम से कम एक सदस्य होने की संभावना है। ये परिवार न केवल शारीरिक और भावनात्मक प्रभाव को भी सहन करते हैं, बल्कि

कलंक और भेदभाव के नकारात्मक प्रभाव को भी सहन करते हैं। उनमें से ज्यादातर 90 प्रतिशत बिना ईलाज के रहते हैं। मानसिक बीमारी, मिथक और कलंक से संबधित लक्षणों के बारे में गरीबी, जागरूकता, उपचार की उपलब्धता पर ज्ञान की कमी और उपचार प्राप्त करने के संभावित लाभ उच्च उपचार अंतराल के लिए महत्वपूर्ण कारण हैं। भारत सरकार ने 1982 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एन0एच0एम0) की शुरूआत निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की है:–

1. भविष्य में सभी के लिए न्यूनतम मानसिक स्वास्थ्य की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करना, विशेष रूप से आबादी के सबसे कमजोर और कमजोर वर्गों के लिए।

2. सामान्य स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक विकास में मानसिक स्वास्थ्य ज्ञान के आवेदन को प्रोत्साहित करना।

3. मानसिक स्वास्थ्य सेवा के विकास में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना और समुदाय में स्व–सहायता की दिशा में प्रयासों को प्रोत्साहित करना।

जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डी0एम0एच0पी0) एन0एम0एच0पी0 के तहत वर्ष 1996 में (IX पंचवर्षीय योजना में) लॉन्च किया गया था। डी0एम0एच0पी0 निम्नलिखित घटकों के साथ 'बेल्लारी मॉडल' पर आधारित था:–

1. पूरी तरह से पता लगाने और उपचार

2. **प्रशिक्षण**.–विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में सीमित संख्या में दवाओं के साथ सामान्य मानसिक बीमारियों के निदान और उपचार के लिए सामान्य चिकित्सकों को अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान करना। स्वास्थ्य कर्मियों को मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।

3. **आई0ई0सी0**.–जन जागरूकता पीढ़ी

4. **निगरानी**.–उद्देश्य सरल रिकॉर्ड कीपिंग के लिए है

भविष्य की योजना और सेवा और अनुसंधान में सुधार के लिए राज्य और केन्द्र में समुदाय के स्तर पर मूल्यवान डेटा और अनुभव प्रदान करे। 2008 में एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि स्कूलों में जीवन कौशल शिक्षा और परामर्श के अतिरिक्त घटकों के साथ नए पैटर्न पर डी0एम0एच0पी0 को संशोधित और समेकित किया जाना चाहिएं। कालेज परामर्श सेवाएं, कार्यस्थल तनाव प्रबंधन और आत्महत्या रोकथाम सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। ये घटक नैदानिक सेवाओं के मौजूदा घटकों, डी0एम0एच0पी0 में सामान्य स्वास्थ्य देखभाल अधिकारियों के प्रशिक्षण और आई0ई0सी0 गतिविधियों के अलावा है। कार्यक्रम के तहत जिले में डी0एम0एच0टी0 की टीम में एक मनोचिकित्सक, एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक, एक मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता, एक मनोचिकित्सा/सामुदायिक नर्स, एक कार्यक्रम प्रबंधक, एक कार्यक्रम/के रजिस्ट्री सहायक और एक रिकार्ड किपर शामिल है।

भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार, जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम राज्य के सभी जिलों में लागू किया जा रहा है। जिला मानसिक स्वास्थ्य टीमों को सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। तदनुसार, कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाने वाली मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए सभी जिलों में डी0एम0एच0टी0 का गठन किया गया है। कार्यस्थल पर और समुदाय के बीच मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आउटरीच गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।

इसके अलावा, प्रदेश में ड्रग उपयोगकर्ता की रोकथाम, उपचार और पुनर्वास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल के तहत प्रमुख रणनीतियों से एक दवा उपयोगकर्ताओं के लिए उपचार

सेवाएं व स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान करना है। हिमाचल प्रदेश राज्य में चल रहे नशामुक्ति केंद्र इस प्रकार हैं:

1. मनोरोग विभाग, आई.जी.एम.सी. शिमला
2. मनोरोग विभाग, डॉ. आर. पी. जी. मैडिकल कॉलेज, टांडा
3. मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास अस्पताल बालूगंज, शिमला
4. यह सुविधा नवस्थापित चार मैडिकल कॉलेज यानि नेरचौक मण्डी, हमीरपुर, नाहन और चंबा में भी उपलब्ध है। एस.सी., ओ.बी.सी., अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से एबल्ड (एस.ओ.एम.ए.) के सशक्तिकरण निदेशालय। ड्रग डी एडिक्शन सहपुनर्वास केन्द्रों का समर्थन कर रहे हैं, जिन्हें भारत सरकार के सहयोग से चलाया जा रहा है जो इस प्रकार है:–

    1. रेड–क्रॉस सोसाईटी, धर्मशाला द्वारा प्रबंधित डी–एडिक्शन एण्ड रिहैबिलिटेशन सैंटर, प्रार्थना भवन, धर्मशाला।
    2. रेड–क्रॉस सोसाईटी धर्मशाला द्वारा नुपुर में नशामुक्ति और पुनर्वास केन्द्र
    3. डी–एडिक्शन एण्ड रिहैबिलिटेशन सैंटर भुंतर, जिला कुल्लू, गुंजन संगठन द्वारा सामुदायिक विकास, श्याम नगर धर्मशाला के लिए प्रबंधित।

राज्य में 67 निजी दवा केन्द्र हैं जो राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ पंजीकृत हैं। राज्य सरकार ने ड्रग की लत के प्रबंधन के लिए राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों से एम.ओ. और स्टाफ नर्सों को प्रशिक्षित किया है। कुल 99 नई दिशा केन्द्र सभी आयु वर्गों के लिए नशामुक्ति सेवाओं के साथ–2 मानसिक स्वास्थ्य रोगों के संबंध में नैदानिक सेवाएं, परामर्श और रैफरल सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। एनडीके के एमओ को मनोचिकित्सा विभाग, आईजीएमसी द्वारा रोगियों को नशामुक्ति नैदानिक सेवाएं प्रदान करने के लिए भी प्रशिक्षित किया गया है। इन संस्थानों में रोजाना सुबह 9.30 से 4.00 बजे तक नशामुक्ति उपचार की सुविधा उपलब्ध है। नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैंटल हैल्थ एण्ड न्यूरोसाइंसेस, बेंगलुरु के सहयोग से राज्य के चिकित्सा अधिकारियों को ऑनलाईन कोर्स के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है।

इस समय प्रदेश में विभिन्न मानसिक रोगों से निपटने के लिए निम्न स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं:

1. **ऑनलाईन उपचार एवं परामर्श सेवा:**

    (क) ई–संजीवनी कोविड महामारी के दौरान ई–संजीवनी के माध्यम से मनोरोग चिकित्सकों द्वारा लगातार मानसिक स्वास्थ्य रोगों का उपचार एवं विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य से सम्बन्धित समस्याओं का निदान किया जा रहा है।

    (ख) 104 स्वास्थ्य हेल्प लाईन के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य रोगों का परामर्श दिया जा रहा है यह सेवा अब 24×7 आधार पर उपलब्ध है और कॉल सैन्टर के अन्दर 5 काउन्सलर कार्यरत हैं।

## टेलीमेडिसिन

अपोलो अस्पताल के माध्यम से 2015–16 में काजा और केलांग में टेलीमेडिसिन की सुविधा प्रदान की गई। इस योजना के अन्तर्गत अपोलो अस्पताल चेन्नई से सभी प्रकार के मरीजों को विषेशज्ञ चिकित्सकों के द्वारा Tele consultations के माध्यम से चिकित्सा परामर्श एवं उपचार प्रदान किया जा रहा है। 2015–16 से अब तक (31–03–2023) काज़ा व केलांग के टेलीमेडिसिन केन्द्र में 21,446 मरीजों को Tele Consultation के माध्यम से उपचार एवं परामर्श प्रदान किया गया।

वर्ष 2018–19 में (अक्तूबर 2018) नागरिक अस्पताल किलाड़ (पांगी) तथा वर्ष 2019–20 में (अक्तूबर 2019) में भरमौर में भी टेलीमेडिसिन सुविधा अपोलो अस्पताल के माध्यम से शुरु की गई है। इसके अन्तर्गत अब तक (मार्च 2023) 6,295 मरीजों को नियन्त्रण चिकित्सा उपचार तक परामर्श प्रदान किया गया है।

टेलीमेडिसिन सेवा को 25 अन्य केन्द्रों (सिविल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) में शुरू किया गया। यह सेवा जिला शिमला, सिरमौर और चम्बा में पीरामल स्वास्थ्य के साथ सार्वजनिक निजी सहभागिता (पी0पी0पी0 मोड) में शुरू की गई। इसके अतिरिक्त बजट घोषणा 2018–19 के अन्तर्गत अप्रैल 2019 से प्रदेश के 50 उप–स्वास्थ्य केंद्रों में टेलीमेडिसिन सेवा आरम्भ की गई है। टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू होने से 31–03–2023 तक इन 75 टेलीमेडिसिन के माध्यम से 1,44,650 टेली–परामर्श प्रदान की गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में रु0 427.64 लाख खर्च किए गए।

## आशा (Asha)

आशा कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा राज्य में सामुदायिक स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु शुरू किया गया था। हिमाचल प्रदेश के दूर–दराज क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सम्बंधित जानकारी तथा स्वास्थ्य सम्बंधित सुविधाएं, उनके घर–द्वार तक पहुंचाने हेतु लगभग 8,744 आशा कार्यकर्ता स्वीकृत हैं, जिनमें से कुल 7,840 (ग्रामीण क्षेत्रों में 7,640 व शहरी क्षेत्रों में 200) आशा कार्यकर्ता अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। साथ ही राज्य सरकार शेष पंचायतों तथा शहरी वार्डों में भी आशाओं को चयनित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यभार को कम कर उनकी कार्यक्षमता और कुशलता को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रदेश के दूर–दराज एवं कठिन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सम्बंधित विशेष सहयोग एवं लाभ प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भिन्न–भिन्न कार्यक्रमों को निम्न स्तर तक पहुंचाने में आशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकार द्वारा आशा कार्यक्रम के अन्तर्गत गत वर्षों में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित किया गया जिसके अन्तर्गत प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं।

**प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना.**–हिमाचल प्रदेश की आशा कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए आशा कार्यकर्ताओं का प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY उम्र 18–50) में नामांकन किया जा रहा है इसके अंतर्गत आशा को हर वर्ष रु0 330/– की बीमा किस्त देनी होगी यदि निवेश के उपरांत बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को दो लाख के लाभ का प्रावधान है। प्रदेश में लगभग 83% आशा इस योजना के अन्तर्गत नामांकित हो चुकी हैं।

**प्रधान मंत्री सुरक्षित बीमा योजना.**–हिमाचल प्रदेश की सभी आशा कार्यकर्ताओं का प्रधान मंत्री सुरक्षित बीमा योजना (18–70) में भी नामांकन किया जा रहा है इसके अंतर्गत आशा को हर वर्ष रु0 12/– की बीमा किस्त देनी होगी। यदि निवेश के उपरांत बीमा धारक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या स्थाई विकलांगता हो जाती है तो इसके अन्तर्गत आश्रितों को दो लाख के लाभ का प्रावधान है तथा विकलांगता होने पर एक लाख के लाभ का प्रावधान है। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020 से इन योजनाओं में नामांकित सभी आशा कार्यकर्ताओं को यह बीमा राशि रु0 330+रु0 12/– प्रतिवर्ष दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश की लगभग 78 प्रतिशत आशा कार्यकर्ता इन योजनाओं में नामांकित हो चुकी हैं।

**प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना.**–प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना (उम्र 18–40) में भी प्रदेश की लगभग 82 प्रतिशत योग्य आशा कार्यकर्ता नामांकित हो चुकी हैं। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को साठ वर्ष पूर्ण होने पर न्यूनतम रु0 3000/– पैंशन का लाभ होगा। उम्र के हिसाब से मासिक प्रीमियम जमा होता है जैसे 18 वर्ष की उम्र होने पर न्यूनतम प्रीमियम रु0 55/– तथा 40 वर्ष की उम्र होने पर अधिकतम प्रीमियम रु0 200/– का प्रावधान है।

**सरकार द्वारा आशा को प्रदान की गई अन्य सुविधाएं:**

- वर्ष 2021 में प्रदेश की सभी आशा कार्यकर्ताओं को प्रतिदिन के क्रियाकलापों तथा स्वास्थ्य से सम्बंधित रिकॉर्ड रखने हेतु एक डायरी प्रदान की गई है।

- वर्ष 2021 में प्रदेश की सभी आशा कार्यकर्ताओं को प्रदेश सरकार द्वारा एक बैग व एक छतरी भी प्रदान की गई ।

**आशा को वित्तीय लाभ:**

- आशा को भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि पर रखा गया है। इस प्रोत्साहन राशि के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार ने अलग–अलग मापदंड निर्धारित किए हैं तथा आशा के कार्य के आधार पर ही प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

- भारत सरकार द्वारा आशा को मासिक नियमित गतिविधियों के लिए रु0 1000/– से बढ़ाकर 2000/– अक्तूबर 2018 से दिए जा रहे हैं।

**आशा को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त मासिक मानदेय:**

- बजट सत्र 2022 में प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित आशा का अतिरिक्त मासिक मानदेय बढ़ोतरी रु0 4,760/– से रु0 5,220/– प्रदेश की सभी आशाओं को दिया जा रहा है।

**आशा कार्यकर्ताओं को कोविड–19 महामारी के अंतर्गत मानदेय:**

- आशा द्वारा कोविड–19 महामारी से सम्बंधित क्रिया कलापों तथा टीकाकरण हेतु सरकार द्वारा अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के लिए अतिरिक्त मासिक मानदेय रु0 1000/– प्रदेश की सभी आशाओं को कर दिया गया तथा प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित रु0 1500/– कोविड मानदेय अप्रैल 2021 से मई 2021 की राशि प्रदेश सरकार से स्वीकृत हो गई है। अत: मानदेय का भुगतान मई 2023 के अंत तक कर दिया जायेगा ।

**आशा को अन्य भत्ते:**

- प्रदेश की सभी आशा कार्यकताओं को सरकार द्वारा मासिक मोबाईल फोन भत्ता रु0 120 सितम्बर 2020 से जारी किया जा रहा है। जिसे अब अप्रैल 2021 से बढ़ाकर रु0 150 मासिक तौर पर किया गया है।

- आशा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश की सभी आशा कार्यकर्ताओं को हर वर्ष रु0 600 वर्दी खरीदने के लिए दिए जा रहे हैं। जिसे अप्रैल 2021 से बढ़ाकर रु0 1100 कर दिया गया है।

## ट्रामा केन्द्र (Trauma Centre)

प्रदेश में तीन लेवल–III ट्रामा सैंटर, क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री आयुर्विज्ञान महाविद्यालय जिला मण्डी में क्रियाशील है जिनमें लोगों को ट्रामा सम्बन्धि सेवाएं दी जा रही हैं। रामपुर में लेवल–III ट्रामा केन्द्र के भवन का कार्य प्रगति पर है इसका लगभग 80% कार्य पूर्ण हो चुका है और डॉ0 आर0पी0जी0एम0सी0 टांडा, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय जिला शिमला, डॉ0 राधाकृष्णन आयुर्विज्ञान महाविद्यालय जिला हमीरपुर तथा पण्डित जवाहर लाल नेहरु आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जिला चम्बा में सरकार द्वारा ट्रामा सैंटर स्थापित किये गए है। इसके अतिरिक्त तीन ट्रॉमा सैंटर नालागढ, ऊना और कोटखाई की स्थापना के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 8.29 करोड की राशि जारी की गई है। इसके अतिरिक्त बर्न यूनिट (Burn Unit) में रोगियों की सुविधा के लिए अस्थाई तौर पर डॉ0 आर0पी0जी0एम0सी0 टांडा, आंचलिक चिकित्सालय मण्डी और क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर में क्रमशः 14, 5 और 10 बिस्तरे उपलब्ध करवाए गये हैं ।

## राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (National Oral Health Programme)

राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम हमारे राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चल रहा है। नैशनल ओरल हैल्थ मिशन ओरल हैल्थ सामान्य स्वास्थ्य का एक अभिन्न अंग है। इसके अन्तर्गत मुस्कान कार्यक्रम चल रहा हैं।

मुस्कान कार्यक्रम के अन्तर्गत 85 क्लीनिक हैं। जिसके तहत 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और बीपीएल के लोगों व अन्य श्रेणी के लोगों को आरकेएस की दरों पर निशुल्क डैन्चर दिया जाता है। वर्ष 2022–23 में कुल 2,806 निशुल्क दांत लगाये गये हैं।

हिमाचल प्रदेश में NOHP के तहत 22 ओरल हैल्थ क्लीनिक चल रहे हैं। जिसमे सभी रोगियों की सभी मौखिक बीमारियों की जरूरतों को पूरा किया जाता है।

नैशनल टोल फ्री डेंटल और ओरल हेल्थ आईवीआरएस नं0 (1800112032) को इस साल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लॉन्च किया था।

## निःशुल्क डायलिसिस सेवा (Free Dialysis Services)

केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम को वर्ष 2015 में आरम्भ किया परन्तु प्रदेश में सबसे पहले मण्डी जिले में यह कार्यक्रम शुरू किया। इस समय प्रदेश के 22 अस्पतालों जिसमें 11 जिला अस्पताल मण्डी, धर्मशाला, कुल्लू, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सोलन, नाहन, चम्बा, किन्नौर व ऊना के अतिरिक्त नागरिक चिकित्सालय नूरपुर, पालमपुर, पौंटा साहिब, करसोग, जोगिन्द्रनगर, सरकाघाट, रामपुर, नालागढ़ में यह सुविधा प्रदान की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत सभी बी0पी0एल0 तथा हाशिया श्रेणियों के किडनी के रोगियों को निशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जाती है। इस सुविधा का लाभ आयुष्मान भारत व हिमकेयर के कार्ड धारक ले सकते हैं। जिन लोगों के पास आयुष्मान भारत या हिमकेयर का कार्ड नहीं है उनको यह सुविधा बी0पी0एल0 के लिए निर्धारित की गई दर पर उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष 2022–23 में 4,034 मरीजों को 91,381 डायलिसिस सत्र पूर्ण किए।

## (ii) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (Reproductive and Child Health Programme)

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जन समुदाय की आवश्यकता पर आधारित, उपभोक्ताओं पर केन्द्रित जरूरतों द्वारा संचालित करके गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत रूप से प्रदान करना है। इस कार्यक्रम में बच्चों को जीवित रखने और मां को सुरक्षित रखने के साथ–साथ कई अन्य बातें भी सम्मिलित हैं–

जैसे स्त्री पुरुष अपनी प्रजनन क्षमता का नियन्त्रण कर सके, शारीरिक सम्बन्धों से महिलाओं को गर्भ ठहरने या यौन–रोग का खतरा न रहे, स्त्रियों में गर्भावस्था व प्रसव सुरक्षित हो, मां व बच्चे का जीवन लम्बा व सुरक्षित हो इत्यादि। इस कार्यक्रम में रति–रोग, प्रजनन अंग रोग, सुरक्षित गर्भपात के सभी पहलुओं पर समान रूप से ध्यान दिया गया है तथा इसके प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सोसाईटी का गठन किया गया है। स्वास्थ्य सचिव (स्वास्थ्य) हिमाचल प्रदेश सरकार इसके अध्यक्ष हैं।

## बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियों में से एक उच्च नवजात मृत्यु दर रही है । नवजात मृत्यु के मुख्य कारणों में संक्रमण (33 प्रतिशत) जैसे निमोनिया, सेप्सिस और umbilical cord infection, prematurity (35 प्रतिशत) यानि कि सैंतिस सप्ताह के गर्भ से पहले नवजात का जन्म और एस्फिक्सिया (20 प्रतिशत ) यानि जन्म के तुरन्त बाद सांस लेने में असमर्थता और आक्सीजन की कमी 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु के प्रमुख कारणों में जन्म से संबन्धित जटिलताएं निमोनिया जन्म के समय की मृत्यु दस्त और मलेरिया है ।

उपरोक्त जोखिम कारक जो कि शिशु मृत्यु दर के लिए उत्तरदायी है उनको संबोधित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने कई कदम उठाए हैं जैसे कि :

## नवजात शिशु देखभाल (अस्पताल व घर पर)

शिशु मृत्यु दर को कम करने हेतु 16 एस0एन0सी0यू0 प्रदेश में चलाए जा रहे हैं। इनमें उच्च जोखिम बीमार नवजात व कम वजन वाले शिशुओं (<1800 gram) को दाखिल करके उनकी देखभाल की जाती है ताकि उन्हें निरंतर उपचार संक्रमण से बचाया जा सके। Low birth weight शिशुओं में रूग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिए सभी एस0 एन0 सी0 यु0 में Kangaroo Mother Care की स्थापना की गई है। 49 एन0बी0एस0यू0 स्थापित किए गये हैं और 124 एन0 बी0 सी0 सी0 स्थपित किए गये है।

ग्रामीण क्षेत्रों में नवजात मृत्यु दर में कमी के लिए आशा कार्यकर्ताओं द्वारा HBNC कार्यक्रम के तहत घर पर नवजात शिशुओं व माताओं की निरंतर देखभाल के लिए 6 से 7 बार गृह भेंट (42 दिनों तक) कर आवश्यक देखभाल व खतरों के लक्षण पर उन्हें शीघ्र इलाज के लिए सरकारी अस्पताल भेजा जाता है। वर्ष 2022–23 में 84.80 प्रतिशत गृह भेंट की गई। एच0 बी0 वाई0 सी0 राष्ट्रीय मिशन और पोषण अभियान के तहत एक नयी पहल है जिसके अंतर्गत 42 दिनों के बाद भी गृह भेंट के लिए आशा कार्यकर्ता जाती है जब वह बच्चा 3, 6, 9, 12 और 15 महीने का होगा। इसका उद्देश्य छोटे बच्चों के पोषण के स्तर में सुधार समुचित विकास और बाल्यावस्था में होने वाली बीमारियों और उनके कारण होने वाली मृत्यु से उनका बचाव कैसे किया जाए के बारे में बताया जाता है। यह जिला चंबा, सिरमौर व मंडी में चलाया जा रहा है। इन जिलों में अभी तक 33,227 बच्चों का गृह भेंट की गई।

## पोषण संबन्धी कार्यक्रम

1. Nutritional Rehabilitation Centre में 1 अप्रैल, 2022 से मार्च 2023 तक कुल 555 बच्चों को भर्ती कर चिकित्सा उपचार किया गया तथा साथ ही चिकित्सापोषण आहार भी दिया गया। उचित आहार देखभाल पर परामर्श के बाद ही उन्हें घर भेजा गया।

2. एनीमिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए IFA syrup and tablets जो मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी व सुधार लाता है दी गई। 6 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को एक सप्ताह में दो बार आयरन फोलिक एसिड सिरप (8–10 dose) पिलाया गया। 54.36% को यह खुराक दी गई है। 6 साल से 19 साल तक के बच्चों को हर सप्ताह आयरन फोलिक एसिड की (नीली व गुलाबी गोलियां) दी गईं 75% बच्चों को यह खुराक दी गई है।

**एनीमिया:**

वर्ष 2022–23 में एक विशेष अभियान एनीमिया मुक्त हिमाचल का शुभारंभ 4 अक्तूबर, 2022 को किया गया, जो चरणबद्ध तरीके से 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं की एनीमिया की जांच और उपचार के लिए आयोजित किया जा रहा है। राज्य में स्क्रीनिंग के लिए डिजिटल हिमो ग्लोबिनोमीटर खरीदे हैं। पहले चरण में 6 माह से 10 साल तक की स्क्रीनिंग की जा रही है। अब तक 45% की स्क्रीनिंग की गई है.

1. Intensified diarrhea control fortnight डायरिया नियंत्रण पखवाड़े का आयोजन हर वर्ष प्रदेश में जुलाई से अगस्त माह में चलाया जाता है, जिसके तहत 5 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को ओ0 आर0 एस0 बांटा गया तथा डायरिया से पीड़िता बच्चों ओ0आर0एस0 के साथ जिंक की गोली दी जाती है । नीति आयोग के निर्देशों पर डायरिया नियंत्रण पखवाड़े का विशेष अभियान 3 चरणों में चलाया जा रहा है, पहले चरण में 80% बच्चों को ओ0आर0एस0 बांटा गया। दूसरे चरण में 100% को और तीसरे चरण में भी 100% बच्चों को ओ0आर0एस0 बांटा गया।

2. मां (MAA –Mother absolute affectionate program) स्तनपान के प्रति जागरूकता और महत्व को दर्शाने के लिए हर वर्ष स्तनपान सप्ताह 1 और 7 अगस्त तक (Breastfeeding week) आयोजित किया जाता है ।

3. NDD (National Deworming Day) 1 मई और 1 नबंवर को हर वर्ष NDD का आयोजन किया जाता है जिससे बच्चों के बीच पोषण और एनीमिया की स्थिति में सुधार के लिए De-worming की दवा आगंनबाड़ी केन्द्रों और स्कूलों में 6 माह से 19 माह तक के सभी बच्चों को दी जाती है। वर्ष 2022–23 में 99.76 प्रतिशत उपलब्धि रही है ।

## हैल्थ एंड वेल्नस सेंटर (Health & Wellness Centre)

हिमाचल सरकार ने एक महत्वकांशी योजना आयुष्मान भारत को लागू किया है:–

1. पहला व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और दूसरा 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना जो स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से समुदाय को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। यह दोनों स्तम्भ एक साथ मिलकर Health & Wellness Centres के महत्वाकांशी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दूर तक जायेंगे।

2. विश्व भर में यह प्रमाणित हो चुका है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण है और गैर–संक्रमणीय बीमारियों सहित (जोकि एक विकराल रूप लेता जा रहा है) कई बीमारियों की प्राथमिक और माध्यमिक रोकथाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह बहुत कम लागत पर विकृति और मृत्यु दर को कम करती है और द्वितीयक और तृतीयक देखभाल की आवश्यकता को कम करती है ।

3. प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल HWCs के माध्यम से प्राप्त की जाएगी और प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और स्वास्थ्य उप–केन्द्र HWCs में परिवर्तित किये जा रहे हैं। इन केन्द्रों में संचारी रोगों की रोकथाम के लिए स्क्रीनिंग, रोकथाम और उपचार भी किया जायेगा। इसके अलावा आंख, कान, दांत और मानसिक रोगों का भी इलाज का प्रावधान रहेगा और ये केन्द्र बुजुर्गों को भी सेवायें प्रदान करेगा ।

4. इन HWCs में मातृ, शिशु, किशोरावस्था में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के अतिरिक्त परिवार नियोजन की सुविधाओं के साथ–साथ गैर–संक्रमणीय बीमारियों की स्क्रीनिंग, रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन का भी प्रावधान है। ये सुविधाएं प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को उसके घर से आधे घंटे के अन्तराल पर मिलेंगी।

5. HWCs में सामुदायक स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति चरणबद्ध तरीके से की जा रही है जिससे की व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सकें।

6. राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप–स्वास्थ्य केन्द्रों को 2022 तक स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों (HWC) के रूप में अपग्रेड किया जायेगा। वर्ष 2022–23 तक 553 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 20 UPHC और 1573 उप–स्वास्थ्य केन्द्रों को स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों (HWC) के रूप में अधिसूचित किया गया है ।

7. इन स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों (HWCs) को कार्यात्मक बनाने के लिए 950 CHOs को विभिन्न उप–स्वास्थ्य केन्द्रों में तैनात किया गया है ।

8. राज्य सरकार द्वारा 7 कार्यक्रम अध्ययन केन्द्रों को अधिसूचित किया गया है यहां पर CHOs को 6 महीने का इग्नू प्रमाणित ब्रिज कोर्स करवाया जाता है ।

9. अधिसूचित स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों (HWC) में कार्य कर रही टीमों के लिए प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन (Performance Linked Incentives) का प्रावधान किया गया है ।

10. इसके अलावा लगभग 4,933 से अधिक लोग e-Sanjeevani OPD Mobile app के द्वारा सीधी डॉक्टरी परामर्श का लाभ उठा चुके हैं ।

## राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम (National Family Welfare Programme)

परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रदेश में स्वेच्छा के आधार पर चलाया जा रहा है। सामाजिक, आर्थिक विकासात्मक योजनाओं में परिवार कल्याण कार्यक्रम अत्याधिक महत्वपूर्ण माना गया है । इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि में स्थिरीकरण लाना है। यह कार्यक्रम प्रदेश में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में सामुदायिक आवश्यकताओं के निर्धारण नीति के आधार पर चलाया जा रहा है। इस दृष्टिकोण के अन्तर्गत मूल–स्तर पर बहु–उद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला एवं पुरुष) अपने कार्य–क्षेत्र तथा उसमें आने वाली जनसंख्या की परिवार कल्याण से सम्बन्धित विभिन्न जरूरतों का अनुमान तैयार करते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर समस्त स्वास्थ्य उप–केन्द्रों से प्राप्त हुए अनुमानों को संकलित किया जाता है। इस कार्यक्रम को राज्य में प्रभावी ढंग से चलाने के लिए सभी स्वयं–सेवी संगठनों, सभी सरकारी विभागों, गणमान्य व्यक्तियों तथा जन प्रतिनिधियों का समर्थन लिया जा रहा है। परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रदेश में प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप राज्य की जन्म–दर में उल्लेखनीय कमी आई है। सरकार ने इस कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न पग उठाए हैं। सूचना, शिक्षा तथा सम्प्रेषण गतिविधियों के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाई जा रही है और पात्र दम्पति परिवार कल्याण के विभिन्न तरीकों को अपनाने के लिए स्वयं आगे आ रहे हैं।

### परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत बांध्यकरण करवाने वालों के लिये बीमा योजना

| मद | 2022–23 | 2021–22 | प्रतिशत कमी (–) तथा (+) बढ़ौतरी |
|---|---|---|---|
| बाध्यकरण | 7807 | 4390 | (+)71.84% |
| आई.यू.डी. | 9696 | 9233 | (+)5.01% |
| ओ.पी. प्रयोगकर्ता | 16284 | 14770 | (+)10.25% |
| सी.सी. प्रयोगकर्ता | 53108 | 38422 | (+)38.22% |

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार ने बांध्यकरण करवाने वालों को एक नई योजना 'परिवार नियोजन बीमा योजना' शुरू की है। इससे पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत असफल हुए बांध्यकरण ऑप्रेशन तथा चिकित्सक जो यह सेवाएं प्रदान करते है उनके लिए कोई प्रतिपूर्ति की व्यवस्था नहीं थी। इस योजना के कार्यान्वयन से सभी तथ्यों को मद्देनज़र रखते हुए इस योजना का 1–1–2008 से नवींकरण तथा संशोधन किया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत जो संशोधित पैकेज देय है वह इस प्रकार से है :–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | चिकित्सालय में बांध्यकरण के कारण मृत्यु पर या चिकित्सालय से छुट्टी होने के बाद 7 दिन के भीतर मृत्यु पर । | 2,00,000/– रुपये |
| 2. | चिकित्सालय से छुट्टी के बाद 8 से 30 दिन के भीतर बांध्यकरण के कारण मृत्यु होने पर । | 50,000/– रुपये |
| 3. | बांध्यकरण के असफल होने पर (बांध्यकरण उपरान्त पहला गर्भ ठहरने पर)। | 60,000/– रुपये |
| 4. | बांध्यकरण के उपरान्त (60 दिन के भीतर) चिकित्सा जटिलताएं उत्पन्न होने पर उपचार के लिए। | 25,000/– रुपये तक (वास्तविक खर्च) |
| 5. | इंडैमिटी बीमा योजना (Indemity Insurance) प्रति डाक्टर अथवा facility (वर्ष में चार से अधिक नहीं)। | 2,00,000/– रुपये |

इस योजना के लागू होने से राज्य सरकार द्वारा बांध्यकरण करवाने वाली माताओं के लिए चलाई जा रही बीमा योजना भी प्रतिस्थापित हो गई है।

## व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम (Universal Immunization Programme)

राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम भारत सरकार का एक अति महत्वपूर्ण एवं सफल कार्यक्रम है। पिछले कुछ वर्षों में इस कार्यक्रम के माध्यम से टीकाकरण में बहुत से परिवर्तन हुए है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन कई नयी तरह की वैक्सीन को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाना है इस कार्यक्रम के अन्तर्गत समय–समय पर जरूरत के अनुसार टीकाकरण के विशेष अभियान भी चलाये जाते हैं इसके अलावा शिमला जिला में पायलट के तौर पर सभी स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण जे0एस0आई0 की मदद से राइज प्रयोजना के अन्तर्गत मोबाइल बेस एप द्वारा प्रशिक्षण देने का एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। जिसके अन्तर्गत हर जिला के सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

वैक्सीन का उचित तापमान पर भण्डारण तथा गंतव्य स्थल तक सुरक्षित तरीके से पहुंचाने के लिए शीत–कड़ी उपकरणों की उचित संख्या में उपलब्धता एवं उनका रख–रखाव अत्यंत आवश्यक होता है ताकि वैक्सीन की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी न आए इसके लिए भारत सरकार समय–समय पर प्रदेश को आवश्यकता अनुसार यह उपकरण उपलब्ध करवाती रहती है इसके अन्तर्गत भारत सरकार ने इस वर्ष विभाग को 1350 अदद नए वैक्सीन कैरियर, 9 अदद आई0एल0आर0 और 3 अदद डीप फ्रीजर उपलब्ध करवाए हैं।

व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 तथा 2022–23 के लक्ष्य तथा उपलब्धियों का विवरण इस प्रकार से है :

| मद | उपलब्धि 2021–22 | उपलब्धि 2022–23 | प्रतिशत उपलब्धि 2022–23 |
|---|---|---|---|
| विटामिन–के | 73953 | 76497 | 103.44 |
| आई0पी0वी0–I | 100198 | 99202 | 99.01 |
| आई0पी0वी0–II | 97552 | 97234 | 99.67 |
| रोटावायरस | 97581 | 97281 | 99.69 |
| बी0सी0जी0 | 89210 | 90153 | 101.06 |
| पोलियो | 97617 | 97268 | 99.64 |
| पेंटावेलेंट | 97636 | 97271 | 99.63 |
| मीजल रूबेला–I | 98986 | 98222 | 99.23 |
| मीजल रूबेला–II | 95163 | 95243 | 100.08 |
| विटामिन–ए की पहली खुराक | 83716 | 96852 | 115.69 |
| विटामिन–ए की पांचवी खुराक | 43019 | 132715 | 308.50 |
| डी.पी.टी बूस्टर | 95166 | 95475 | 100.32 |
| पोलियो बूस्टर | 95140 | 95464 | 100.34 |
| डी. पी.टी. (5 वर्ष) | 51413 | 119211 | 231.87 |
| टी.टी. (10 वर्ष) | 38791 | 126059 | 324.97 |
| टी.टी. (16 वर्ष) | 31169 | 119893 | 384.65 |
| टी.टी. (गर्भवती महिलाए) | 98530 | 100408 | 101.91 |
| माताओं को आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां | 88857 | 87038 | 97.95 |

## (iii) राष्ट्रीय दृष्टि विहीनता नियन्त्रण कार्यक्रम (National Blindness Control Programme)

यह कार्यक्रम प्रदेश में 1977–78 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना के रूप में आरम्भ किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अन्धेपन की प्रचलित दर को 0.87 प्रतिशत से घटाकर 0.3 प्रतिशत लाना है।

राज्य में इस समय नेत्र देख–रेख सेवाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, एक केन्द्रीय चल इकाई जो धर्मशाला में स्थित है और 12 जिला चल इकाइयों के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विस्तृत नेत्र सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संशोधित नीति कार्य में लाई गई है। वर्ष के दौरान गत वर्ष की तरह इन्ट्रा–ओकुलर लैन्स के कार्यान्वयन मे बढ़ावा देने, मोतियाबिन्द शल्य के रिकार्ड को तैयार करने, दृष्टि को पुनः स्थापित करने में गुणवत्ता इत्यादि पर विशेष बल दिया गया है। वर्ष के अन्तर्गत गत वर्ष की तरह दृष्टि विहीनता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसे मामलों का पता लगाने पर ज्यादा बल दिया जा रहा है जो दोनों आंखों से नहीं देख सकते। जिला–स्तर के प्राधिकारी ऐसे मामलों, जिनको दोनों आंखों में मोतियाबिन्द है, का पता लगाकर उनका ऑप्रेशन कर रहे है। वर्ष 2022–23 में 43,945 ऐसे मामलों का ऑप्रेशन किया गया।

## (iv) राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम (National Iodine Deficiency Disease Control Programme):

आयोडीन की कमी के कारण शरीर में कई बीमारियों जैसे मन्दता, गतिहीनता, गिल्लड़ इत्यादि बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसके साथ–साथ शरीर में आयोडीन की कमी से गर्भपात, मृत बच्चे का पैदा होना, कम वजन के बच्चे पैदा होना, शिशु तथा बाल मृत्यु–दर में वृद्धि होना आदि कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। आयोडीन अल्पता विकार को रोकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आयोडीन–युक्त नमक का इस्तेमाल करना जरूरी है। इस योजना के अन्तर्गत नमक परीक्षण किट पूरे राज्य में नमक में आयोडीन की कमी की जांच के लिए 10 जिलों में हर वर्ष दी जाती है।

## (v) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (National Leprosy Eradication Programme):

यह कार्यक्रम प्रदेश में 1954–55 में कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम के रूप में चलाया गया और उस समय इस रोग के लगभग 9000 मामले थे। उस समय इस रोग के उपचार के लिए केवल एकमात्र दवा डी.डी.एस. थी। वर्ष 1983 में इस कार्यक्रम को कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम में परिवर्तित किया गया। उस समय राज्य के 12 जिलों में से 6 जिले कुष्ठ नियन्त्रण इकाइयों द्वारा नियन्त्रित किए जाते थे और अन्य छः जिले सर्वेक्षण, शिक्षा एवं उपचार केन्द्रों द्वारा। वर्ष 1994 में भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता से बहुऔषधीय उपचार की पद्धति शुरू की गई और जिला स्तर पर, जिला कुष्ठ सोसाइटियों का गठन किया गया। इस पद्धति के अन्तर्गत उपचार का कार्य जिला समितियों को दिया गया। समस्त प्रदेश में दवाइयों के वितरण के लिए स्थान निर्धारित किए गए और यह क्रम 1997–98 में पूर्ण किया गया। वर्ष 1996 में प्रदेश के समस्त जिलों को बहुऔषधीय उपचार के अन्तर्गत लाया गया ।

प्रदेश में वर्ष 1999 से 2003 तक 4 कुष्ठ विलोप अभियान चलाये गये । इन अभियानों के परिणाम इतने उत्साहजनक रहे कि लोगों ने ऐच्छिक तौर पर अपने रोग के बारे में रिपोर्ट करवाना शुरू कर दिया जबकि इससे पहले लोग रोग को छुपाते थे ।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्तर पर कुष्ठ समिति का गठन कर दिया गया है। इस कार्य को पूर्ण तौर पर सामान्य स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली के साथ जोड़ दिया गया है। कुष्ठ रोगियों के लिए सभी स्वास्थ्य संस्थानों में दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

**वर्ष 2022–23 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य गतिविधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:–**

| | लक्ष्य | पी.बी. | एम.बी. | योग |
|---|---|---|---|---|
| 31–3–2023 तक पंजीकृत मामलों की संख्या | .... | 12 | 108 | 121 |
| वर्ष के दौरान नए खोजे गए मामलों की संख्या | .... | 11 | 140 | 151 |
| 1–4–2021 से 31–3–2022 तक नए मामलों की संख्या जिनका बहु–औषधी उपचार शुरू किया गया। | ..... | 11 | 140 | 151 |
| 1–4–2021 से 31–3–2022 तक विलोप (RFT) किए गए मामलों की संख्या | ..... | 14 | 103 | 117 |
| वर्ष के अन्त में मामलों की संख्या | ..... | 4 | 136 | 140 |
| रिलैप्स तथा अन्य राज्यों से आये मामलों की संख्या | ..... | 2 | 16 | 18 |
| वर्ष के अन्त में उपचाराधीन मामलों की संख्या | | 5 | 152 | 157 |

कार्यक्रम से सम्बन्धित सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण गतिविधियां इस प्रकार की गईं:–

| संख्या | मद | सुनियोजित | उपलब्धि |
|---|---|---|---|
| 1. | रैली तथा बैनर प्रचार | 12 | 12 |
| 2. | स्वयं सहायता वाले समूह के लिए बैठकों का आयोजन | 312 | 264 |
| 3. | पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए आई.पी.सी. कार्यशालाओं का आयोजन। | 312 | 396 |
| 4. | प्रभावी व्यक्तियों तथा नेताओं के लिए आई.पी.सी. बैठकों का आयोजन । | 312 | 244 |

**प्रशिक्षण:**

| संख्या | मद | सुनियोजित | उपलब्धि |
|---|---|---|---|
| 1. | नव–नियुक्त चिकित्सा अधिकारी 2 दिवसीय प्रशिक्षण | 200 | 181 |
| 2. | स्वास्थ्य पर्यवेक्षक/स्वास्थ्य कार्यकर्ता 2 दिवसीय प्रशिक्षण | 100 | 85 |
| 3. | आशा कार्यकर्ता को प्रशिक्षण | 3000 | 2924 |

## (vi) राष्ट्रीय क्षय–रोग उन्मूलन कार्यक्रम (National T.B. Elimination Programme)

यह कार्यक्रम प्रदेश में 1 सैनाटोरियम, 12 जिला क्षयरोग केन्द्रों, 75 क्षयरोग यूनिट, 239 माइक्रोस्कोपिक केन्द्रों, 102 नॉट लैब, 1 आई0आर0एल0 और 2 सी0 एवं डी0एस0टी0 लैब के माध्यम से चलाया जा रहा है ।

भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता से संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम वर्ष 1995 में जिला हमीरपुर में पॉयलट प्रोजैक्ट के रूप में शुरू किया गया। इस पॉयलट प्रोजैक्ट के आधार पर राज्य के सभी जिलों को इस परियोजना के अन्तर्गत चरणबद्ध तरीके से लाया गया:–

(i) प्रथम चरण : हमीरपुर, कांगड़ा तथा मण्डी
(ii) द्वितीय चरण : शिमला, सिरमौर तथा सोलन
(iii) तृतीय चरण : बिलासपुर, चम्बा, किन्नौर, कुल्लू, लाहुल–स्पीति तथा ऊना

### राष्ट्रीय क्षय–रोग उन्मूलन कार्यक्रम के उद्देश्य :–

(i) 90% से अधिक दर से फेफड़ों की टी.बी. रोगियों का इलाज करना
(ii) 90% से अधिक नये बलगम पोजिटिव रोगियों की पहचान करना

### राष्ट्रीय टी.बी. उन्मूलन कार्यक्रम के 5 मुख्य पहलू हैं:–

(i) राजनैतिक एवम् प्रशासनिक वचनबद्धता, जिसमें धनराशि तथा स्टाफ को मुहैया करवाया जाना सुनिश्चित करना।
(ii) सभी रोगियों का सूक्ष्मदर्शी निरीक्षण करना।
(iii) अल्पावधि इलाज की बढ़िया किस्म की दवाओं की सप्लाई को बाधित न होने देना
(iv) स्वास्थ्य विभाग के प्रति उत्तरदायी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा सीधी इलाज सुविधा प्रदान करना
(v) उत्तरदायित्वता से कार्यक्रम का निरीक्षण करना

## वर्ष 2022 में अन्य उपलब्धियां इस प्रकार से हैं:

| | | |
|---|---|---|
| (i) | पैस्ट सिम्पटोमैटिक मामलों की संख्या जिनको डाइगनोज किया गया | 13,52,360 |
| (ii) | नये पॉजिटिव मामलों की संख्या जिनको कार्यक्रम के अन्तर्गत डॉट उपचार में डाला गया। | 16,074 |
| (iii) | कुल क्षय रोगियों की संख्या जिनको उपचार हेतु डाला गया | 16,055 |
| (iv) | रोगियों की संख्या जिनको डक्ट उपचार हेतु डाला गया | 669 |

## भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | मामले खोजने की दर | >70% | 97.3% |
| 2. | इलाज दर | >85% | 89% |
| 3. | मृत्यु दर | <4% | 8% |
| 4. | असफलता दर | <4% | 2% |
| 5. | अकरण दर (Default Rate) | <5% | 3% |

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय समय सीमा से पहले राज्य से तपेदिक (टी0 बी0) को खत्म करने का लक्ष्य तय किया है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने 24 मार्च, 2018 को ऊना में एक बड़े सार्वजनिक समारोह में मुख्यमंत्री क्षय रोग औपचारिक रूप से योजना का शुभारंभ कर प्रदेश में लागू किया है।

- प्रदेश में 77 स्वास्थ्य खण्ड हैं। वर्तमान में राज्य में 52 (CBNAAT) और 61 (TRUENAAT) हैं। राज्य के पास 1 स्वास्थ्य ब्लॉक में कम से कम 1 NAAT सुनिश्चित करने की योजना है, राज्य चरणबद्ध तरीके से करेगा। सरकार की चालू वित्त वर्ष में 16 सीबीएनएएटी मशीनों खरीदने की योजना है। राज्य का UDST प्रदर्शन भारत में उच्चतम में से एक है। अब राज्य पारम्परिक माइक्रोस्कोपी के स्थान पर निदान के NAAT की ओर बढ़ने की योजना बना रहा है, इसलिए अधिक NAAT मशीनों की आवश्यकता होगी। CTD से CBNAAT Cartridges की आपूर्ति सुनिश्चित करने का अनुरोध है।

- हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक डीआरटीबी रोगियों को अब उपचार की पूरी अवधि के लिए पूरक पोषण के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 1500/– रुपये मिलते हैं। यह निक्षय पोषण योजना के over and above मिलते हैं। 31 मार्च, 2023 तक पात्र एमडीआर टीबी रोगियों को 33.26 लाख रु. वितरित किए जा चुके हैं।

- अब तक 92% लाभार्थियों को एनपीवाई लाभ दिया गया है। 26.60 करोड़ रुपये की राशि का एनपीवाई लाभ अब तक भुगतान किया गया है।

- राज्य ने टीबी मुक्त हिमाचल ऐप नामक एक ऐप विकसित किया है, यह गूगल प्ले स्टोर में मुफ्त में उपलब्ध है। यह ऐप एक बिंदू मंच है, जहां उपयोगकर्ता को तपेदिक के लक्षणों और लक्षणों के बारे में जानकारी मिलती है, संबंधित एलटी के साथ निकटतम नैदानिक सेवाओं (डीएमसी और सीबीएनएएटी) का विवरण मिलता है। ऐप में आईईसी गतिविधि, उपचार, पालन और साइड इफेक्ट की पहचान और प्रबंधन पर वीडियो भी अपलोड किए गए हैं।

- प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालयों पर ग्राम पंचायत पदाधिकारियों (प्रधान, उप–प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव) के लिए टीबी मुक्त हिमाचल पर विशेष जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

- सरकार राज्य में सामान्य आबादी के बीच जागरूकता फैलाने के लिए, राज्य भर के स्वास्थ्य ब्लॉकों में नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए थे।

- निजी क्षेत्र में टीबी उन्मूलन के लिए राज्य ने वहां तक पहुंचने वाले रोगियों के लिए टीबी देख–भाल के मानकों को सुनिश्चित करने और उनके जेब खर्च को कम करने के लिए निजी क्षेत्र को संलग्न करने के लिए योजना विकसित की है। टीबी नियंत्रण के नवीनतम दिशा–निर्देशों पर निजी चिकित्सकों के लिए आयोजित कार्यशाला के कुल 12 बैच कर इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 350 से अधिक प्रमुख निजी चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया गया।

- आज तक (2022) राज्य ने टीबी मामले की अधिसूचना में 97 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल कर लिया है

- राज्य ने रविवार को एसीएफ गतिविधि शुरू की है, जिसमें आशा प्रत्येक रविवार को एक आशा क्लस्टर गांव में लगभग 80–100 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग करती है। आशा को राज्य योजना से 100 रुपये/गतिविधि दिवस का भुगतान किया जा रहा है।

- Total 6 सीबीएनएएटी मशीनों को 6 उप–जिला मैडिकल कॉलेज में खरीदा और स्थापित किया गया है।

- इस योजना से 11 आयुर्वेदिक अस्पतालों में नामित सूक्ष्म केंद्र (डीएमसीएस) स्थापित किए गए। राज्य ने राज्य भर में सभी आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों और आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों के लिए अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए और आयुर्वेद विभाग से भी योगदान बढ़ रहा है।

- राज्य ने टीबी रोगियों की सहायता के लिए 3 विशेष योजनाएं शुरू की हैं। हिमाचल प्रदेश में सितम्बर 2016 से सभी डीआरटीबी रोगियों को हिम न्यूट्रीमिक्स नामक एक विशेष कैटेबल फॉर्मूलेशन के रूप में पूरक पोषण मिल रहा है।

- सीटी स्कैन और एमआरआई जैसे उन्नत रेडियोलॉजिकल परीक्षण या तो मुफ्त निदान के तहत या कार्यक्रम के तहत कवर नहीं किए जाते हैं। इसके माध्यम से एचपी राज्य 2019 से सभी टीबी मामलों के लिए सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन की लागत को कवर करता है।

- टीबी मुक्त हिमाचल अभियान पखवाड़ा का आयोजन किया गया, 57 लाख से अधिक जनसंख्या का परीक्षण किया गया, 39,946 थूक परीक्षण किया गया, 6,052 चेस्ट एक्स रे किया गया, 9,221 CB-NAAT परीक्षण किए गए और इस अभियान में कुल 196 नए टीबी रोगियों का निदान किया गया।

- आयुर्वेद विभाग औपचारिक रूप से टीबी मुक्त हिमाचल अभियान में लगा हुआ है। आयुर्वेद विभाग से 68 डॉक्टर। मास्टर ट्रेनरों के रूप में राज्य स्तर पर प्रशिक्षित, अब ये मास्टर ट्रेनर राज्य भर में जिला स्तर पर और प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं।

- हर अस्पताल में एयरबोर्न संक्रमण नियंत्रण सहायता डेस्क (URI कॉर्नर) की स्थापना की गई, ताकि देखभाल संस्थानों के भीतर बीमारी के संचरण को रोकने में मदद मिल सके।

- भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य को टीबी कार्यक्रम के तहत देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में सम्मानित किया है। यह पुरस्कार भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा 24 मार्च, 2022 को दिया गया था।

## (vii) राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियन्त्रण कार्यक्रम (National Vector Born Disease Control Programme)

### मलेरिया:

यह कार्यक्रम राज्य में किन्नौर तथा लाहुल–स्पीति जिलों को छोड़कर अन्य सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2022 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधियों का विवरण इस प्रकार है:–

| | | |
|---|---|---|
| (i) | रक्त पट्टिकाएं जो एकत्रित की गईं | .. 2,37,177 |
| (ii) | रक्त पट्टिकाएं जो जांच की गईं | .. 2,21,470 |
| (iii) | घनात्मक पाई गई पट्टिकाएं | .. 12 |
| (iv) | पी–फेलसीपेरम | .. 2 |
| (v) | पी.वाई. वैक्स | .. 10 |
| (vi) | मामलों की संख्या जिनका उपचार किया गया | .. 12 |

मलेरिया की रोकथाम/उपचार के लिए जो दवाइयां प्रयोग की गईं :–

| | | |
|---|---|---|
| (क) | क्लोरो–क्वीन (4ए–क्यु.) | .. 110 गोलियां |
| (ख) | प्राईमा–क्वीन (2.5mg) | .. 1020 गोलियां |
| (ग) | प्राईमा–क्वीन (7.5mg) | .. 96 गोलियां |

कार्यक्रम के अन्तर्गत ए.पी.आई की दर में उल्लेखनीय कमी आई है। यह दर जो वर्ष 1999 में 1.1 प्रति हजार जनसंख्या थी वर्ष 2022 में घटकर शून्य हो गई है ।

इस कार्यक्रम के प्रभावी–तौर से कार्यान्वयन करने के उद्देश्य से जिला एवं खण्ड–स्तर पर समन्वय कमेटियों का गठन किया गया। राज्य–स्तर पर इस कार्यक्रम की देख–रेख एवं मूल्यांकन निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी की सहायता से किया जाता है। वर्ष 2022 में डेंगु बुखार के 3,326 मामले, चिकन–गुनिया के 6 मामले आए, काला–आजार और जैपनीज एनसफलाईटिस का कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया ।

## (viii) राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम (National Aids Control Programme):

राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य वर्ष 1985 में पॉयलट कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया। वर्ष 1986 में चेन्नई (मद्रास) में एच.आई.वी. संक्रमण का पहला मामला प्रकाश में आया। वर्ष 1987 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एड्स कमेटी गठित की गई। एड्स कार्यक्रम में तीन मुख्य भाग जैसे चौकसी, रक्त सुरक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा सम्मिलित किए गए। वर्ष 1992 में इस कार्यक्रम को विश्व बैंक की वित्तीय सहायता तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकी सहायता से सुदृढ़ीकरण किया गया।

प्रदेश में यह कार्यक्रम वर्ष 1992 में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया। राज्य में एच.आई.वी. का प्रथम पोजिटिव मामला वर्ष 1987 में पाया गया। यह विदेशी सैलानी था और वर्ष 1990 में दो और पॉजिटिव मामले प्रकाश में आए और ये भी विदेशी नागरिक थे। प्रदेशवासियों में से प्रथम पॉजिटिव मामला वर्ष 1992 में पाया गया और वह जिला हमीरपुर का निवासी था। इसके बाद राज्य के अन्य जिलों से भी ऐसे मामले प्रकाश में आए। वर्ष 2022–23 में प्रदेश में 2,98,738 ब्लड सीरम के नमूनों की जांच की गई जिनमें से 363 मामले एच.आई.वी. अनुकूल पाए गए। अनुकूल पाए गए मामलों में से 85 प्रतिशत से भी ज्यादा मामले जिला हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला, मण्डी, ऊना, बिलासपुर तथा सोलन जिले के हैं।

## इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य :

1. एच.आई.वी. के संक्रमण से रोकथाम
2. ब्लड सेफ्टी के तरीकों में सुधार लाना
3. एच.आई.वी. की रुग्णता तथा मृत्यु दर को कम करना
4. एच.आई.वी. तथा एड्स से उत्पन्न सामाजिक एवं आर्थिक प्रतिकूल प्रभाव को कम करना

## कार्यक्रम प्रबन्धन:

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना तथा विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए राज्य में 15 मई, 1998 को राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाईटी का गठन किया गया। सचिव (स्वास्थ्य) इस सोसाईटी के अध्यक्ष हैं। सोसाईटी इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने, कार्यान्वयन, मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन के लिए जिम्मेवार है। जिला स्तर पर इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए प्रत्येक जिले में एड्स कार्यक्रम अधिकारी अधिसूचित किये गये हैं। ये अधिकारी मुख्य तौर पर जिले में कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाई जा रही गतिविधियों के प्रति जिम्मेवार हैं।

## प्राथमिक लक्षित हस्तक्षेप:

वर्ष 2022–23 के दौरान, राज्य में सरकारी संगठनों के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाएं कार्य कर रही थी, इसमें से 6 लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाएं महिला यौनकर्मियों के लिए, 1 टीआई नशीली दवाओं के उपयोगकर्ताओं के लिए, 1 .टीआई उच्च जोखिम वाले प्रवासियों के लिए है, 8 समग्र कोर (MSM/ Migrant/Trucker & FSW) के लिए कार्य कर रही है।

सरकारी संगठनों के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाओं की उपलब्धि:–

| Sl. No. | सूचक | FSW | MSM | IDU | TG | Migrants | Truckers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कवरेज | 6251 | 898 | 1849 | 50 | 93216 | 35479 |
| 2. | एचआईवी परीक्षण | 5890 | 854 | 1659 | 48 | 4687 | 2268 |
| 3. | एचआईवी पॉजिटिव | 8 | 8 | 11 | 0 | 14 | 5 |
| 4. | एआरटी | 8 | 8 | 7 | 0 | 14 | 4 |

- क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में एक ओएसटी केंद्र और दो सैटेलाइट ओएसटी केंद्र अम्ब और तालीवाल ऊना में काम कर रहा है। ऊना में कुल 171 मरीज दवा ले रहे हैं और लिंक्ड IUD (IT) Sahyog के माध्यम से रेफर कर रहे हैं।

- एचआईवी परीक्षण और उद्योगों के भीतर काम कर रहे प्रवासियों के बारे में जागरूकता के उद्देश्य से राज्य के 15 नियोक्ता नेतृत्व मॉडल काम कर रहे हैं।

- हिमाचल प्रदेश की सभी जेलों में एच.आई.वी./एस.टी.आई./नशीली दवाओं के सेवन पर सत्रों के माध्यम से 5421 कैदियों को जागरूक किया गया और 4535 का एच.आई.वी. और 2070 कैदियों की टी0बी0 का परीक्षण किया गया और 20 कैदी एच.आई.वी. पॉजिटिव पाए गए।

## नियंत्रण कार्यक्रम एस.टी.आई/ आरटीआई क्लिनिक (डीएसआरसी)

एड्स कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में रोग का पता लगाने तथा उपचार करने के लिए राज्य में आर.टी.आई./एस.टी.आई. के 20 क्लीनिक कार्यरत हैं। जोकि जिला स्तर के चिकित्सालयों में 12 तथा मैडीकल कॉलेज टांडा, इन्दिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला तथा कमला नेहरु चिकित्सालय शिमला, ई0एस0आई0 चिकित्सालय परवाणू, नागरिक चिकित्सालय पालमपुर, रामपुर (खनेरी) और रोहडू तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नालागढ़ में स्थित है।

कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष के दौरान की गई गतिविधियों का ब्यौरा इस प्रकार से है:–

| | | |
|---|---|---|
| एस.टी.आई./ आर.टी.आई. क्लिनिक में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या | .. | 70744 |
| वी.डी.आर.एल./आर.पी.आर. परीक्षण की संख्या (प्रयोगशालाओं में) | ... | 54514 |
| इनमें से जितने मामले सकारात्मक पाए गए | .. | 115 |
| सकारात्मक नमूनों की प्रतिशतता | .. | 0.21% |

प्रदेश में एस.टी.आई. के उपचारालयों के सुदृढ़ीकरण करने के लिए राष्ट्रीय एड्स संगठन तथा राज्य एस.टी.डी. संगठन द्वारा दवाइयां तथा प्रयोगशालाओं में प्रयोग होने वाले पदार्थों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाया जा रहा है। एस.टी.डी. तथा एड्स रोग से बचाव तथा नियन्त्रण के उद्देश्य से सभी एस.टी.आई. उपचारालयों में निरोध मुफ्त उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। एड्स रोग से बचाव के लिए सभी एस.टी.आई. क्लिनिकों में डिस्पोजेबल सिरिंजों का प्रयोग किया जा रहा है।

## निरोध कार्यक्रम को प्रोत्साहन

एड्स नियन्त्रण प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अच्छे गुणवत्तायुक्त निरोध उपलब्ध करवाने के लिए निम्न पग उठाए गए हैं:–

(i) निजी तथा गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से निरोध का वितरण किया जा रहा है तथा हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के अधीन आने वाले सभी परचून डिपो, पैट्रोल पम्प, नाई की दुकान, सुलभ शौचालय, बस अड्डे के माध्यम से निरोध वितरित किये जा रहे हैं।

(ii) एस.टी.डी. रोगियों को आर.टी.आई. क्लिनिकों के माध्यम से निरोध उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ।

(iii) निरोध के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से टारगैटिड इन्टरवैंशन परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

(iv) गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से डिलक्स निरोध को बढ़ावा देने के लिए सोशल मार्केटिंग प्रारम्भ की गई और इन संगठनों के माध्यम से निरोध बेचे जा रहे हैं ।

## सुरक्षित रक्त

राज्य के सभी जिला अस्पतालों, सुरक्षित रक्त उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सभी 18 ब्लड बैंकों का आधुनिकीकरण किया गया है। ब्लड बैंकों में अच्छी कार्य कुशलता को सुनिश्चित करने के लिए ब्लड बैंकों को सभी जरूरी उपकरण, दवाइयां तथा जरूरी वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इंदिरा गांधी मैडीकल कॉलेज, डॉ. आर.पी.जी.एम.सी. टांडा और आंचलिक चिकित्सालय मण्डी में ब्लड कॉम्पोनैंट सैपरेशन यूनिट की स्थापना की गई है।

वर्ष 2022–23 में ब्लड बैंक की गतिविधियों का ब्यौरा इस प्रकार है :–

| | | |
|---|---|---|
| 1. कुल रक्त यूनिट जो एकत्रित किए गये | .. | 56967 |
| 2. स्वैच्छिक रक्त दान मामलों की संख्या | .. | 52523 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | रक्त यूनिट का कुल प्रतिस्थापन | .. | 4444 |
| 4. | स्वैच्छिक रक्त दान मामलों की प्रतिशतता | .. | 92% |
| 5. | रक्त दान शिविर आयोजित किये गये | .. | 709 |
| 6. | रक्त यूनिट की संख्या जो रक्त दान शिविरों में एकत्रित किए गये | .. | 30282 |

## सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण एवम् जागरूकता अभियान

वर्ष 2022–23 में निम्नलिखित आई.ई.सी. गतिविधियों और जागरूकता अभियान आयोजित किए गए–

(i) एचआईवी/एड्स कार्यक्रम पर 1224 स्पॉटस बिग एफएम, रेडियो मिर्ची तथा रेडियो धमाल के माध्यम से प्रसारित किए गए और एचआईवी/एड्स कार्यक्रम पर कुल 2820 स्पॉट 1097 टोल फ्री नबर, एंटी ड्रग एब्यूज डे, विश्व एड्स दिवस, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, महिला दिवस के अभियान के दौरान ए.आई.आर. शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला के माध्यम से प्रसारित किए गए।

(ii) विश्व एड्स दिवस, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और महिला दिवस पर अभियान के दौरान निजी टीवी चैनल और दूरदर्शन केंद्र शिमला के माध्यम से एचआईवी/एड्स की रोकथाम पर 333 स्पॉट प्रसारित किए गए।

(iii) हिमाचल प्रदेश में कॉलेजों में कुल 295 रैड रिबन क्लब कार्यरत हैं। हिमाचल प्रदेश में जिला एड्स कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा आरआरसी के सभी साथियों और युवा नेताओं को प्रशिक्षित किया गया है। वित्त वर्ष 2022–23 में कुल 15 नए आरआरसी खोले गए।

(iv) रणनीतिक स्थानों पर 25 रैंटल होर्डिंग, 71 परमानैन्ट होर्डिंग लगाए गए हैं और उच्च प्रसार वाले जिलों में एचआईवी एड्स की रोकथाम के लिए 2 पैनल बस शेल्टर में लगाए गए ।

(v) वर्ष 2022–23 के दौरान 10 एचआरटीसी बस स्टैंडों पर एलईडी स्क्रीन टीवी के माध्यम से एचआईवी एड्स की रोकथाम पर ऑडियो/विजुअल संदेश प्रदर्शित किए गए।

(vi) HPSACS द्वारा आयोजित सभी अभियानों में अन्य सभी प्रमुख विभाग शामिल थे। प्रशिक्षण कार्यक्रम को मुख्यधारा में लाने के अभियान के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संगठनों ने अपने–अपने विभागों में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम में एचआईवी एड्स की रोकथाम पर एक सत्र आयोजित किया, जिसके माध्यम से लगभग 1852 लोगों को एचआईवी एड्स के प्रति जागरूक किया गया।

(vii) एचआरटीसी के माध्यम से एचआईवी/एड्स की रोकथाम पर 280 बैक बस पैनल और 100 पूर्ण बस पैनल प्रदर्शित किए गए व 847 बसों में 1694 इनर बस पैनल लगाये गये।

(viii) जिला स्तर पर 10 जिलों में आरआरसी के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी । इसके अलावा, अंतिम प्रतियोगिता राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई थी।

(ix) एचपीएसएसीएस द्वारा वर्ष 2022–23 में वर्चुअल फिजिकल मेनस्ट्रीमिंग प्रशिक्षण आयोजित किए गए और 245 प्रशिक्षण आयोजित किए गए। 5000 से अधिक लोगों को एचआईवी एड्स के प्रति संवेदनशील बनाया गया।

(x) मास मीडिया, सोशल मीडिया अभियान आउटडोर मीडिया का उपयोग जनता के बीच अधिकतम जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया।

## एकीकृत परामर्श तथा जांच केन्द्रः

- 2022–23 के दौरान, राज्य में 55 एकीकृत परामर्श तथा जांच केन्द्र स्टैंड अलोन –आईसीटीसी काम कर रहे थे जो लोगों को परामर्श और परीक्षण सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

- हिमाचल प्रदेश के दूर–दराज के इलाकों में एचआईवी जांच की सुविधा प्रदान करने के लिए 2 मोबाइल आईसीटीसी वैन काम कर रही हैं।

- राज्य के सभी पीएचसी, सीएचसी और उप–केंद्र एएनसी और सामान्य ग्राहकों के लिए एचआईवी जांच सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं और साथ ही हिमाचल प्रदेश में 4 सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी–आईसीटीसी के माध्यम से एचआईवी परीक्षण सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

- कुल 4,30,334 व्यक्तियों की जांच की गई और 551 एचआईवी पॉजिटिव पाए गए, इनमें से 1,44,648 गर्भवती महिलाओं में 18 एच.आई.वी. पॉजिटिव पाई गई।

## देखभाल सहायता केंद्र

वर्ष 2022–23 के दौरान, पीएलएचआईवी के लिए विस्तारित और समग्र देखभाल और सहायता सेवा प्रदान करने के लिए हमीरपुर और शिमला में 2 देखभाल सहायता केंद्र (सीएससी) कार्यरत हैं।

## एटी. रेट्रोपवायरल उपचार केन्द्र

वर्ष 2022–23 के दौरान एड्स रोगियों को उपचार और दवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य में आईजीएमसी शिमला, आर.एच हमीरपुर, एलबीएलजीएमसी नेर चौक मण्डी और डॉ. आर.पी.जी.एम.सी. टांडा में 4 एआरटी 2 एफ–एआरटी, बिलासपुर और ऊना और 5 लिंक एआरटी केंद्र कुल्लू, पालमपुर, देहरा, सोलन और नालागढ़ में कार्यरत हैं। 31 मार्च, 2023 तक 5,253 पी.एल.एच.आई.वी. जीवित हैं और एआरटी पर है।

**हिमाचल प्रदेश में सभी एआरटी का विवरण**

| संकेतक | शिमला | हमीरपुर | टांडा | ऊना | मण्डी | बिलासपुर | कुल पी.एल.एच.ए. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ए.आर.टी. ले रहे पी.एल.एच.आई.वी. की संख्या | 943 | 1391 | 1468 | 626 | 522 | 303 | 5253 |

**हिमाचल प्रदेश में एड्स नियन्त्रण समिति की कल्याण योजनाएं:**

- एच0आई0वी/एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों को वित्तीय सहायता 1,500 रु0 प्रतिमाह

- वर्ष 2022–23 में एच0आई0वी/एड्स के साथ जी रहे 5,236 व्यक्तियों को वित्तीय सहायता 64,16,800 रु0 दी गई।

- एच0आई0वी/एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों और उनके एक सहयोगी को एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी में उपचार के लिए आने–जाने का बस किराया सरकार द्वारा दिया जाता है। जिससे वह अपने जीवन को लम्बे समय तक जी सकते हैं। यह सहायता प्रदेश में स्थित 6 एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी केन्द्रों द्वारा प्रदान की जा रही है, ताकि इन्हें बिना व्यवधान उपचार मिल सके व उपचार सुचारू रूप से किया जा सके।

- वर्ष 2022–23 में एच.आई.वी./एड्स के साथ जी रहे 4,239 व्यक्तियों और उनके एक सहयोगी को एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी में उपचार के लिए आने–जाने का बस किराया दिया गया।

- एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों के बच्चों व अनाथों को शिक्षा एवम् अन्य जीवनयापन सम्बन्धित आवश्यकताओं के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता योजना वर्ष 2007–08 से शुरू की गई है। इस योजना के तहत एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों के बच्चों को आर्थिक सहायता निम्नलिखित विवरण अनुसार दी जा रही है–

| | |
|---|---|
| 0–3 वर्ष तक | 300/रु0 प्रतिमाह |
| 4–6 वर्ष तक | 400/रु0 प्रतिमाह |
| 7–9 वर्ष तक | 500/रु0 प्रतिमाह |
| 10–12 वर्ष तक | 600/रु0 प्रतिमाह |
| 13–15 वर्ष तक | 700/रु0 प्रतिमाह |
| 16–18 वर्ष तक | 800/रु0 प्रतिमाह |

- वर्ष 2022–23 में एच.आई.वी./एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों के 1,034 बच्चों व अनाथों को शिक्षा एवम् जीवनयापन सम्बन्धित आवश्यकता के लिए आर्थिक सहायता दी।

- चिकित्सक की सलाह पर प्रदेश सरकार द्वारा एच.आई.वी./एड्स के साथ जी रही महिलाओं के नवजात शिशु को एक वर्ष तक दूध पाउडर मुफ्त दिया जाता है, ताकि नवजात शिशु को एच. आई.वी./एड्स मां का दूध न उपलब्ध होने की स्थिति में पर्याप्त पोषक आहार मिल सके।

- न्युट्रिशनल किट (ओट्स/आटा बिस्कुट) 100 ग्राम प्रति दिन प्रति बच्चा को एक साथ एक माह के लिए (ART Centre) के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है।

- उच्च जोखिम समूह के लिए विशेष महिला उत्थान योजना महिला एवम् बाल विकास विभाग के सहयोग से चलाई जा रही है।

## 8. अन्य कार्यक्रम

### (i) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY)

### आयुष्मान भारत–प्रधान मन्त्री जन आरोग्य योजना

- आयुष्मान भारत–प्रधान मन्त्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना का आरम्भ 23 सितम्बर, 2018 को किया गया है।

- हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रदेश में 4,78,985 परिवार पंजीकृत थे जिन्हें इस योजना में शामिल किया गया है।

- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसमें कोई आयु सीमा निश्चित नहीं की गई है।

- लाभार्थी इस योजना का लाभ पूरे देश में किसी भी पंजीकृत अस्पताल में प्राप्त कर सकते हैं।

- आयुष्मान भारत प्रधान मन्त्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 3227 उपचार प्रकियाओं (जिसमें डे–केयर सर्जरीज भी सम्मिलित हैं) को शामिल किया गया है।

- इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में 63,148 लोगों का निःशुल्क इलाज किया गया है। जिन पर 81.01 करोड़ रुपये का खर्च आया है।

## मुख्य मन्त्री हिमाचल हैल्थ केयर योजना–हिमकेयर

- जो परिवार आयुष्मान भारत या अन्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना में नहीं आते उनके लिए प्रदेश सरकार के अभिनव प्रयासों से हिमकेयर योजना आरम्भ की है। इस योजना का आरम्भ 1 जनवरी, 2019 से किया गया।

- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसमें कोई आयु सीमा निश्चित नहीं की गई है।

- इस योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवार तथा पंजीकृत रेहड़ी–फड़ी, मरनेगा कार्यकर्ता, वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 70 वर्ष से अधिक है और बालाश्रमों में रह रहे अनाथ बच्चे जिनका नाम आयुष्मान भारत में नहीं है, से किसी भी तरह का प्रीमियम नहीं लिया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत 365 रुपये का प्रीमियम More than 40% disabled, Ekal Naari, Anganwari Workers, Anganwari Helpers, Mid Day Meal Workers, Part Time Workers, Daily Wage Workers, Contract Employees, Outsource Employees, ASHA के लिए निर्धारित किया गया है। अन्य परिवार 1000 रुपये देकर इस योजना में कार्ड बनवा सकते हैं।

- इस योजना में एक परिवार को अस्पताल में भर्ती होने पर पांच लाख रुपये के निःशुल्क इलाज का प्रावधान है।

- हिमकेयर योजना में 31 मार्च, 2023 तक 7.12 लाख परिवारों ने पंजीकरण करवाया है

- योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 3227 उपचार प्रकियाओं (जिसमें डे–केयर सर्जरीज भी सम्मिलित हैं) को शामिल किया गया है।

- इस योजना के अन्तर्गत 262 अस्पतालों को पंजीकृत किया गया हैं जिसमें 128 अस्पताल निजी क्षेत्र में हैं।

- लाभार्थी स्वयं www.hpsbys.in वैबसाईट पर जाकर अपना कार्ड बनवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अस्पतालों में भी कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य सेवा केन्द्रों (Common Service Centre/Lok Mitra Kendra) के माध्यम से भी कार्ड जारी करने का कार्य किया जा रहा है जिसके लिए लाभार्थी प्रति परिवार 50 रुपये का शुल्क अदा कर रहा है।

- हिमकेयर योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में 2.13 लाख लाभार्थियों ने 251.94 करोड़ रुपये की निःशुल्क इलाज की सुविधा का लाभ उठाया है।

## मुख्य मन्त्री चिकित्सा सहायता कोष

प्रदेश ने जरूरतमंद गरीब लोगों को जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, सहायता प्रदान करने हेतु मुख्य मन्त्री चिकित्सा सहायता कोष का गठन किया है। कोष का शुभारम्भ दिनांक 20 अक्तूबर, 2018 को किया गया है। कोष के अन्तर्गत सहायता हेतु वार्षिक आय सीमा 1 लाख 50 हजार रुपये है लेकिन हृदय रोग, रीढ़ की हड्डी के उपचार, कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण, मस्तिष्क सम्बन्धित बीमारी इत्यादि के लिए आय सीमा नहीं है। कोष से इलाज के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 में 443 जरूरतमंद गरीब लोगों को इलाज के लिए 3.30 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है।

### मुख्य मन्त्री सहारा योजना

प्रदेश में मुख्य मन्त्री सहारा योजना का क्रियान्वयन दिनांक 15 जुलाई, 2019 से किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य लम्बी अवधि तक कुछ एक निर्दिष्ट रोगों जैसे Parkinson's, Malignant Cancer Disease, Paralysis Disease having permanent disability taking treatment for long basis or bed ridden, Muscular Dystrophy, Haemophilia, Thalassemia, Acute or Chronic Renal failure or any other disease which renders a person permanently incapacitated से पीड़ितों के उपचार के दौरान रोगियों व उनके परिचरों को आने वाली वित्तीय और अन्य समस्याओं से निजात दिलाना है। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को प्रति माह 3000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में 26,334 लाभार्थियों को 74.22 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

## (ii) राष्ट्रीय एम्बुलैंस सेवा (National Ambulance Service)

स्वास्थ्य सम्बन्धी आपातकालीन परिस्थिति में पहला घण्टा अतिमहत्वपूर्ण है यदि इस समय में प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध हो तो बहुमूल्य जीवन बचाया जा सकता है। इसी उद्देश्य के लिए ये योजना 2010 से शुरू की गई थी अब पूरे राज्य में यह सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। प्रदेश में जिला सोलन के धर्मपुर में आपातकालीन सुविधा केन्द्र विभिन्न कार्य कर रहा है जिसमें कि विभिन्न आपातकालीन कॉल सुनी जाती है और आपातकाल में चिकित्सक द्वारा EMT को जरूरत पड़ने पर उचित सलाह देते हैं । आपातकालीन सुविधा केन्द्र में क्षेत्रवार सभी रोगी वाहनों का ब्यौरा उपलब्ध है तथा कॉल प्राप्त होने के पश्चात् घटना स्थल पर शीघ्र अति शीघ्र औसत समय ग्रामीण क्षेत्रों में 31.26 मिनट व शहरी क्षेत्रों में 10.50 मिनट तक रोगी वाहन को उपलब्ध करवाया जाता है। इस आपातकालीन सुविधा केन्द्र में सभी दूरभाष नम्बरों, मोबाईल नम्बरों से टोल फ्री (Toll Free) नम्बर 108 पर कॉल की जा सकती है।

इस योजना पर वर्ष 2022–23 में रु0 50.73 करोड़ परिचालन तथा सम्बन्धित खर्च (Provisional) व्यय किये गये है।

योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में विभिन्न सेवाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

| सेवाओं का ब्यौरा | कुल सेवाएं |
|---|---|
| रोगी वाहन सेवा प्राप्त की गई | 163450 |
| (मैडिकल सम्बन्धी) | 153467 |
| गर्भावस्था सम्बन्धित | 30822 |
| ट्रॉमा (सड़क दुर्घटनाएं) | 5996 |
| श्वास सम्बन्धी रोग | 14631 |
| हृदय रोग सम्बन्धित | 10720 |
| पुलिस केस सम्बन्धी | 9293 |
| आग लगने के मामले | 690 |

### निःशुल्क वाहन की सुविधा JSSK 102

गर्भावस्था के दौरान घर से स्वास्थ्य संस्थान आने के लिए राष्ट्रीय एम्बुलैंस स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत निःशुल्क एम्बुलैंस सेवा 108 व जटिलता होने पर एक स्वास्थ्य संस्थान से दूसरे स्वास्थ्य संस्थान तक निःशुल्क एम्बुलैंस सेवा तथा वापिस घर पहुंचाने के लिए जननी एक्सप्रैस 102 वाहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

प्रदेश में एक 148 जननी शिशु सुरक्षा योजना (JSSK) एम्बुलैंसिज है इसके माध्यम से गत वर्ष में प्रदेश में 41,771 लाभार्थियों को निःशुल्क घर वापसी सेवा प्रदान की गई है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है :

| क्रम संख्या | सेवा ब्यौरा | सेवा संख्या |
|---|---|---|
| 1. | Total No. of 102 NAS Ambulance | 148 |
| 2. | Total Beneficiaries Served | 41771 |
| 3. | Total Drop Backs | 39343 |
| 4. | Total Pick Ups | 21 |
| | A Drop Back - New Mothers | 35289 |
| | B Drop Back - Infants | 583 |
| | C Drop Back - Neonates | 2337 |
| | D Drop Back - Sterilization Patients | 681 |
| | F Dropback - COVID Recovered Patients | 453 |
| | G Trips - COVID-19 Sampling | 2407 |

## जीवन धारा एम.एम.यू.

हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिनांक 18–11–2020 को 10 मेडिकल मोबाईल यूनिटों को हरी झंडी दिखाई। ये मेडिकल मोबाइल इकाइयां हिमाचल प्रदेश के जिला चम्बा, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, शिमला, सिरमौर, सोलन के दूर–दराज के क्षेत्रों मे जा कर निशुल्क सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

जीवन धारा ने अब तक 77,460 ओ0पी0डी0 सेवाएं दी हैं और अब तक 54,596 लैब टैस्ट भी मैडिकल मोबाइल यूनिटों द्वारा किए गए हैं। 2018 में प्रयास एन.जी.ओ. के अन्तर्गत जिला ऊना व हमीरपुर में एक–एक एम0एम0यू0 शुरू की गई है।

जीवन धारा योजना के अन्तर्गत लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के अलावा सूचना शिक्षा एवम सम्प्रेषण गतिविधियों का लाभ जन–जन को घर द्वार पहुंचाने की सुविधा गाड़ी में लगे टी. वी. द्वारा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त कैंसर की स्क्रीनिंग एवम् मुफ्त दवाई व खून की जांच की सुविधा भी दी जाएगी व हिम सुरक्षा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। पहले चरण में प्रदेश के सात जिलों के लिए एम.एम.यू. लॉन्च किए गए हैं शिमला–02, सोलन–01, कागड़ा–02, कुल्लू–01, मण्डी–02, सिरमौर–01, चम्बा–01.

## बाइक एम्बुलैंस

हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 06–10–2020 को चार नए फर्स्टरिस्पोंडर बाइक एम्बुलैंस का शुभारम्भ किया, जो जरूरतमंद मरीजों को त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए मण्डी और धर्मशाला शहर में तैनात किया गया है । फर्स्ट रिस्पोन्डर बाइक सर्विस को टोल फ्री नम्बर 108 पर कॉल किया जाता है यह बाइक एम्बुलैंस के साथ–साथ पूर्व अस्पताल देखभाल, सुविधाओं जैसे दवाइयां चिकित्सा उपभोग समाग्रियों और चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित है जो रोगियों के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है ।

बाइक एम्बुलैंस का मुख्य उद्देश्य चार पहिया एम्बुलैंस के लिए दुर्गम क्षेत्रों तक पहुच प्राप्त करना और यातायात की स्थिति में जल्द से जल्द पहुचना था। पिछले वर्षों के आकडें बताते हैं कि शिमला शहर में ई.एम. मामलों में फोर व्हीलर एम्बुलैंस की तुलना में बाइक एम्बुलैंस सात मिनट पहले पहुंचाती है। अब तक इन बाइक एम्बुलैंसों ने 3,216 लाभार्थियों को आपातकालीन सेवाएं प्रदान की हैं ।

## (iii) एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP/IHIP)

एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) विभिन्न ऊर्ध्वाधर कार्यक्रमों के निगरानी घटकों के कार्यात्मक एकीकरण पर ध्यान देने के साथ समय पर और प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए रोग निगरानी की एक विकेन्द्रीकृत प्रणाली है।

इस परियोजना का उद्देश्य स्वास्थ्य योजना, प्रबंधन और नियंत्रण रणनीतियों के मूल्यांकन में उपयोग के लिए रोग निगरानी की दक्षता में सुधार करना है।

इस योजना के तहत 37 सिन्ड्रोम/बीमारियों की निगरानी दैनिक आधार पर की जाती है। नवम्बर 2018 में इन बीमारियों की निगरानी के लिए 'एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच' (IHIP Portal) का निर्माण किया गया जिसके तहत मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से वास्तविक समय डाटा दैनिक आधार पर आईएचआईपी पोर्टल अपलोड किया जाता है ।

इन बीमारियों के लिए जिलावार निम्नलिखित केन्द्र स्थापित किये गये हैं:–

| क्रम संख्या | जिले का नाम | Form-"S" | Form-"P" | Form-"L" |
|---|---|---|---|---|
| 1. | बिलासपुर | 123 | 51 | 20 |
| 2. | चम्बा | 178 | 57 | 19 |
| 3. | हमीरपुर | 153 | 41 | 23 |
| 4. | कांगड़ा | 449 | 130 | 20 |
| 5. | किन्नौर | 35 | 29 | 6 |
| 6. | कुल्लू | 101 | 37 | 18 |
| 7. | लाहौल एवं स्पीति | 35 | 18 | 5 |
| 8. | मण्डी | 335 | 109 | 45 |
| 9. | शिमला | 242 | 131 | 28 |
| 10. | सिरमौर | 147 | 56 | 15 |
| 11. | सोलन | 183 | 61 | 21 |
| 12. | ऊना | 137 | 39 | 15 |
| कुल.. | | 2118 | 759 | 235 |

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में 5 विशेष बीमारियों की निगरानी दैनिक आधार पर की जाती है और उसके अनुसार प्रदेश में इन बिमारियों की रोकथाम के लिए विशेष कदम उठाये जाते हैं । पिछले चार वर्षों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दैनिक आधार पर राज्य में विशेष बीमारियों की निगरानी के जो आंकड़े सामने आये वे निम्नलिखित हैं:–

| क्र0 सं0 | बिमारी का नाम | वर्ष 2019 | | वर्ष 2020 | | वर्ष 2021 | | वर्ष 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सकारात्मक मामले | मौतें | सकारात्मक मामले | मौतें | सकारात्मक मामले | मौतें | सकारात्मक मामले | मौतें |
| 1. | स्क्रब टाईफस | 1597 | 14 | 565 | 6 | 1007 | 7 | 1460 | 26 |
| 2. | स्वाईन फ्लू | 335 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 3. | हैपेटाईटिस–'ए' | 485 | 0 | 147 | 0 | 113 | 0 | 163 | 0 |
| 4. | हैपेटाईटिस–'ई' | 62 | 0 | 26 | 0 | 13 | 0 | 35 | 0 |

## राष्ट्रीय वायरल हैपेटाइटिस नियन्त्रण कार्यक्रम (NVHCP)

हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय वायरल हैपेटाइटिस नियन्त्रण कार्यक्रम (NVHCP) जुलाई 2019 में आरम्भ किया गया। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 2 मॉडल उपचार केन्द्र आईजीएमसी तथा डॉ. आरपीजीएमसी टांडा तथा 12 उपचार केन्द्र जिलों में कार्यरत है जहां पर हैपेटाइटिस–बी/सी के पीड़ित रोगियों के निदान व उपचार की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है ।

प्रत्येक जिला स्तर के अस्पताल के एक चिकित्सा अधिकारी तथा एक प्रयोगशाला तकनीशियन को इस प्रयोजन के लिए आई.जी.एम.सी. शिमला प्रशिक्षित किया जा चुका है ।

## (iv) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम (National Urban Health Programme)

भारत सरकार तथा राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा यह कार्यक्रम वर्ष 2013–14 में आरम्भ किया। इस कार्यक्रम के तहत तीन शहरों क्रमशः शिमला, सोलन तथा कांगड़ा को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में लोगों को मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है।

## (v) कैंसर, मधुमेह, हृदय रोगों तथा स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियन्त्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (National Programme for Control of Cancer, Diabetes, Heart Ailments and Stroke)

भारत सरकार ने इस कार्यक्रम को देश के 21 राज्यों के 100 जिलों में वर्ष 2010–11 में आरम्भ किया। प्रदेश के चम्बा, लाहौल एवं स्पीति तथा किन्नौर जिले भी इसके अंतर्गत चयनित किये गए थे।

यह कार्यक्रम चम्बा जिले में वर्ष 2010, लाहौल एवं स्पीति तथा किन्नौर में वर्ष 2011 में आरम्भ किया गया। वर्ष 2014–15 में यह कार्यक्रम प्रदेश के बचे हुए सभी जिलों में आरम्भ कर दिया गया।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 वर्ष की ऊपर की आयु वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति की सभी गैर–संचारी रोग जैसे कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप एवं अन्य दीर्घकालीन समस्याओं के लिए निशुल्क वार्षिक जांच का प्रावधान है।

प्रदेश सरकार ने गैर संचारी रोगों के बढ़ते प्रकोप से बचने के लिए एक विस्तृत योजना मुख्यमंत्री निरोग योजना आरम्भ की है। इस योजना को वर्ष 2019–20 से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत समस्त लोगों की वार्षिक स्वास्थ्य जांच का प्रावधान किया गया है। चूंकि 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की वार्षिक स्वास्थ्य जांच के लिए आर0बी0एस0के0 कार्यक्रम चलाया जा रहा है और 30 वर्ष से ऊपर के लोग राष्ट्रीय गैर संचारी रोगों की रोकथाम व नियंत्रण कार्यक्रम का लाभ उठा रहे हैं इसलिए प्रदेश सरकार ने 18 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के लिए भी वार्षिक स्वास्थ्य जांच व निदान का प्रावधान किया है। यह योजना पूरे देश में इस तरह का पहला प्रयास है और 31–03–2023 तक इस योजना में 18 वर्ष से ऊपर के 25.60 लाख लोगों को पंजीकृत किया गया है। जोकि कुल लाभार्थियों (+18) का 68% भाग है। इस योजना के अर्न्तगत आषा कार्यकर्ता घर–घर जाकर 18 वर्ष से उपर के सभी लोगों से 25 प्रश्न पूछती है और यदि किसी प्रश्न का उत्तर हां में हो तो उसे तुरन्त नजदीकी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पास बी0पी0, मधुमेह व अन्य जांच के लिए भेजा जाता है और यदि सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं होता है तो भी वार्षिक स्वास्थ्य जांच की सलाह दी जाती है यदि जांच में कोई लक्षण आते हैं तो तुरन्त डाक्टर के पास जांच की सलाह दी जाती है ताकि उचित निदान करके ईलाज शुरु किया जा सके। इस योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के द्वारा 13,06,942 लोगों की जांच की गई और डाक्टर के पास परामर्श हेतु भेजा गया और डाक्टरों ने 4,98,724 लोगों का निदान करके उचित उपचार शुरु कर दिया है। इस कार्यक्रम की निगरानी ई–हेल्थ कार्ड द्वारा होती है और सारी जानकारी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा आशा के सहयोग से अनमोल टैब्लेट के माध्यम से की जा रही है।

इस कार्यक्रम के अतिरिक्त 21–4–2014 को पक्षाघात कार्यक्रम (Telestroke Project) का आरम्भ किया गया तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में 54 पक्षाघात के रोगियों का उपचार किया गया। कार्यक्रम के प्रारम्भ से 31 मार्च, 2023 तक 661 पक्षाघात के रोगियों का उपचार किया गया। इसके अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में कैंसर के मरीजों के लिए जिला अस्पताल बिलासपुर, कुल्लू, मण्डी, हमीरपुर, ऊना, सोलन, धर्मशाला, चम्बा तथा नागरिक अस्पताल रोहडू एवं रामपुर में कीमोथैरेपी की सुविधा प्रारम्भ की गई। इस कार्यक्रम के प्रारम्भ से अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में 828 कैंसर के रोगियों को कीमोथैरपी की सुविधा प्रदान की गई। कार्यक्रम के प्रारम्भ से 31 मार्च, 2023 तक 5,271 कैंसर के रोगियों को कीमोथैरपी की सुविधा प्रदान की गई।

इस वर्ष प्रदेश के 9 चिन्हित बड़े अस्पतालों में Palliative Care कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और मार्च 2023 तक 1913 बहिरंग और 475 अंतरंग रोगियों को लाभान्वित किया गया है।

## (vi) वृद्धों के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए कार्यक्रम (National Health Care for Elderly)

यह कार्यक्रम वर्ष 2010–11 से भारत सरकार ने देश के 21 राज्यों के 100 जिलों में चलाया था। प्रदेश के चम्बा, लाहौल–स्पीति व किन्नौर जिले भी इन चयनित जिलों में से थे। वर्ष 2015–16 से शेष 9 जिलो में भी यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इन 9 जिलों के क्षेत्रीय चिकित्सालयों मे वृद्धो के इलाज के लिए जीरीयट्रीक वार्ड है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 47 फिजीयोथैरपी यूनिट जिनमें 11 जिला अस्पताल, 26 नागरिक चिकित्सालयों, 5 वृद्ध आश्रम, 2 पंचायतें और 3 डे–केयर केन्द्र शामिल हैं।

## (vii) कायाकल्प कार्यक्रम

स्वच्छ भारत अभियान के तहत कायाकल्प कार्यक्रम 2 अक्तूबर, 2014 को स्वच्छ भारत अभियान, सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने पर केंन्द्रित है। चूंकी अस्पताल स्वच्छता, स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं और रोगियों और आगंतुकों को सकारात्मक अनुभव भी प्रदान करते हैं और स्वच्छ पर्यावरण से संबंधित व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रयास को पूरा करने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने उन सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को कायाकल्प पुरस्कार देने के लिए एक राष्ट्रीय पहल शुरू की है। इसे अब आयुष्मान भारत हेल्थ एण्ड वेलनेस सैंटर (AN-JWCs) में भी पेश किया गया है।

**उपलब्धि:–** वित्त वर्ष 2022–23 के लिए 773 स्वास्थ्य सुविधाओं (एच0 सी0 एफ0) का आकलन किया गया था। जिसमें से 270 कायाकल्प पुरस्कार योजना के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य थे। पारदर्शिता लाने और डैटा को सार्वजनिक डोमेन कायाकल्प ऐप में रखने के लिए (पोर्टल) पूरा कायाकल्प मूल्यांकन डैटा द्वारा विकसित किया गया ।

इस चरण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को राज्य सरकार द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में राज्य के सभी कायाकल्प पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष अभी तक राज्य में इन स्वास्थ्य संस्थानों का चयन नहीं हो पाया है क्योंकि अभी External Assessment की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, यह प्रक्रिया पूरी होने के उपरान्त गठित कमेटी द्वारा पुरस्कार की घोषणा की जाएगी तथा राशि का आबंटन किया जाएगा।

### गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम

सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन 2014–15 में लॉंच किया गया था, जिसका उद्देश्य अच्छा प्रदर्शन करने वाली संस्थानों को पहचानना और समुदाय में सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों की सेवा वितरण और विश्वसनीयता में सुधार करना था। राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित सुविधाओं को उनके अच्छे काम की मान्यता के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

**उपलब्धिः**—आर0 एच0 कुल्लू 2019 और सी0 एच0 सरकाघाट 2020–21 में MQAS राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित है और इस प्रमाण–पत्र को प्राप्त करने पर 29.80 लाख रु0 से सम्मानित किया गया है। सी0 एच0 पालमपुर राष्ट्रीय प्रमाणन के लिए प्रक्रिया में है।

## (viii) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण प्रणाली (Birth and Death Registration)

सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली जो देश में संवैधानिक संदर्भ का अनुसरण करते हुए जन्म और मृत्यु की सतत और स्थायी रिकार्डिंग है। वर्ष 1969 में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1969 को लागू किया गया जिसने देश में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संबंधी प्रचलित भिन्न–भिन्न कानूनों का स्थान लिया। इस अधिनियम के अन्तर्गत जन्म और मृत्यु की घटनाओं का पंजीकरण अनिवार्य है।

राज्य स्तर पर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हिमाचल प्रदेश अधिनियम के अधीन जन्म एवम् मृत्यु का मुख्य रजिस्ट्रार है। सहायक निदेशक (सांख्यिकीय) को उनकी सहायता के लिए उप–मुख्य रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया है। जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवम् मृत्यु) के रूप में नियुक्त किया गया है। जिला रजिस्ट्रार को अपनी ड्यूटी निभाने में सहायता करने हेतु जिला स्वास्थ्य अधिकारी को अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार एवं नोडल अधिकारी (जन्म एवम् मृत्यु) नियुक्त किया गया है ।

खण्ड स्तर पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी को, रजिस्ट्रीकरण गतिविधियों की निगरानी व देख–रेख के लिए विनिर्दिष्ट अधिकारी अधिसूचित किया गया है।

शहरी क्षेत्रों में जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं का पंजीकरण स्थानीय रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत करवाया जाता है। इसका कार्यालय नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर निगम/कन्टोनमैंट बोर्ड परिसर में होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन घटनाओं का पंजीकरण ग्राम पंचायत में करवाना पड़ता है। इसका रजिस्ट्रार पंचायत सचिव/पंचायत सहायक होता है।

वर्ष 2015–16 में हिमाचल प्रदेश के समस्त आंचलिक चिकित्सालयों, क्षेत्रीय चिकित्सालयों, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय चिकित्सालयों के अतिरिक्त समस्त नागरिक चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को भी जन्म मृत्यु पंजीकरण इकाई के रूप में खोला गया है तथा संस्थान के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को रजिस्ट्रार (जन्म व मृत्यु) नियुक्त किया गया है, ताकि लोगों को चिकित्सालय में हुए जन्म व मृत्यु के प्रमाण–पत्र वहीं से प्राप्त हो सकें।

वर्ष 2015–16 में भारत के महापंजीयक नई दिल्ली द्वारा विकसित ऑनलाइन नागरिक पंजीकरण प्रणाली के वैब पोर्टल www.crsorgi.gov.in पूरे प्रदेश में लागू करने के लिए भारत के महापंजीयक के सौजन्य से आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया। तदोपरान्त इसे शहरी क्षेत्रों में 1 मई, 2015 से व ग्रामीण क्षेत्रों में 1 जुलाई, 2015 से लागू किया गया। 2016–17 में यह कार्यक्रम जनजातिय क्षेत्रों में भी लागू कर दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों में भी ऑनलाईन जन्म व मृत्यु पंजीकरण आरम्भ किया गया। इसके अन्तर्गत प्रदेश में 1 जनवरी, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022 तक 90,988 जन्म व 49,959 मृत्यु का ऑनलाईन पंजीकरण किया गया है।

## (ix) सूचना, शिक्षा एवम् सम्प्रेषण कार्यक्रम (IEC Programme)

स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालन से सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों की समितियों का एकीकरण किया जा चुका है। परिणामस्वरूप सभी आई.ई.सी. गतिविधियां भी मिशन के सौजन्य से संचालित की जा रही हैं। जिला स्तर पर सभी समितियां आई.ई.सी. के सहयोग से गतिविधियां संचालित कर रही हैं और खंड स्तर पर खण्ड चिकित्सा अधिकारी के मार्गदर्शन द्वारा पर्यवेक्षक और स्वास्थ्य शिक्षक एकजुट होकर राष्ट्रीय कार्यक्रमों को प्रदेश के कोने–कोने में विस्तार से इन कार्यक्रमों की जानकारी द्वारा लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि लोगों को विभाग द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों की पूर्ण जानकारी हो और

वे इसका पूरा–पूरा लाभ उठा सकें। स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय कार्यक्रमों की जानकारी लोगों तक स्वास्थ्य शिक्षा, स्थानीय मेलों, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में प्रदर्शनी द्वारा, फोक मीडिया शो, परामर्शदाता शिविर, रेडियो विज्ञापन, स्वास्थ्य दिवस पर खंड और जिला स्तर पर गतिविधियों का संचालन और दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित विविध कार्यक्रम सैमिनार और कार्यशालाओं द्वारा पहुंचाई जाती है। स्वास्थ्य दिवस के मौके पर प्रतिमाह राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत पूरे प्रदेश में राज्य, जिला व खण्ड स्तर पर विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण के द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है । जिसमें विभाग में बनी समितियां कार्यक्रमों में व्यय करती है और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के उद्देश्य अनुसार जनता की प्रतिभागिता सुनिश्चित करती है। पूरे वर्ष गतिविधियों का संचालन मिशन में उपलब्ध बजट व योजना में स्वीकृत गतिविधियों पर निर्भर करता है। केन्द्रीय सरकार की सभी प्रचार शाखाएं व जन सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग अपने स्तर पर भी मिशन की गतिविधियों को प्रचारित कर रहे हैं ।

## वर्ष 2022–23 के अंतर्गत सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण कार्यक्रम (IEC)

| क्रम संख्या | गतिविधियां | टिप्पणी |
|---|---|---|
| 1. | प्रकाशन माध्यम | सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से विभिन्न अखबारों में एवं विभाग द्वारा मेगजीन व स्मारिकाओं में नियमित रूप से तथा विषेष अवसरों जैसे स्वास्थ्य दिवस व बीमारियों जैसे स्क्रब टायफस, स्वाईन फ्लू के प्रकोप में विज्ञापन जारी किए गए।<br><br>अखबारों में स्वास्थ्य सम्बन्धित समाचारों का प्रतिदिन निरीक्षण होता है और नाकारात्मक खबरों की विभागीय जांच होती है। |
| 2. | जन संचार माध्यम (टेलीविजन/रेडियो विज्ञापन) | दूरदर्शन, जनता टीवी, न्यूज 18–पंजाब, हरियाणा, हिमाचल एवं सिटी चैनल, शिमला के माध्यम से अनेक कार्यक्रमों व बीमारियों से संबन्धित विज्ञापन व वार्ताएं प्रसारित की गयी।<br><br>प्रसार भारती–अखिल भारती रेडियो, एफ एम शिमला, रेडियो मिर्ची एवं बिग एफ एम से विभिन्न कार्यक्रमों व बीमारियों से संबन्धित जिंगल, हैलो डॉक्टर व रेडियो डॉक्टर कार्यक्रमों का नियमित व विशेष अवसरों जैसे स्वास्थ्य दिवस व बीमारियों जैसे स्क्रब टाईफस, स्वाईन फ्लू के प्रकोप में प्रसारण किए गए। |
| 3. | डिजिटल मिडिया | विभिन्न वैब पोर्टल एवं हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में विभिन्न कार्यक्रमों से संबन्धित विज्ञापन पट्टिकाएं लगायी गयीं तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम के कम्प्यूट्रीकृत यात्री सूचना प्रणाली के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों से संबन्धित विज्ञापनों के जिंगल प्रसारित किये गए। |
| 4. | स्वास्थ्य दिवसों का आयोजन | राज्य, जिला व खण्ड स्तर पर आयोजन जिसके अंतर्गत रैली, स्वास्थ्य दौड़, स्कूली बच्चों के लिए पोस्टर व पेन्टिंग प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, जन–जागरूकता कार्यक्रम प्रसारित किये गए। |

वर्ष के दौरान सूचना शिक्षा एवं सम्प्रेषण गतिविधियों में लगभग 516 लाख रु0 खर्च किए गए।

## (x) चिकित्सा संस्थानों के भवन निर्माण का ब्यौरा

प्रदेश सरकार स्वास्थ्य संस्थानों को सरकारी भवन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भवन निर्माण कार्य को प्राथमिकता दे रही है और इस कार्य के लिए बजट का प्रर्याप्त प्रावधान किया गया है। वर्ष 2021–22 में निर्माण कार्य के लिए 11.81 करोड़ रु0 की राशि का प्रावधान था तथा 9.31 करोड रुपये व्यय किये गए। वर्ष 2022–23 में भवन निर्माण कार्य के लिए 6.05 करोड़ रु0 का प्रावधान है।

वर्ष 2022–23 में प्रदेश में 29 चिकित्सालयों, 25 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 68 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 65 स्वास्थ्य उप–केन्द्रों के भवनों का निर्माण तथा विस्तार कार्य चल रहा है। जिनमें से 6 चिकित्सालय, 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 14 स्वास्थ्य उप–केन्द्रों के भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा इनमें से 4 चिकित्सालय, 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 9 स्वास्थ्य उप–केन्द्रों के भवनों को लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया गया है।

## 9. प्रशिक्षण कार्यक्रम (Training Programme)

प्रदेश में चिकित्सा संस्थाओं में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मैडिकल कॉलेज टांडा (कांगड़ा) राज्य संस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परिमहल शिमला, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र छैब (कांगड़ा), जिला चिकित्सालयों, खण्ड स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस वर्ष विभिन्न वर्गों के प्रशिक्षणार्थियों को निम्न स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया गया:–

### (i) राज्य संस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिमहल शिमला में 2020–21 में प्रशिक्षण गतिविधियों का ब्यौरा इस प्रकार है :–

| क्रम संख्या | प्रशिक्षण का नाम | प्रशिक्षण की अवधि (दिनों में) | संख्या जो प्रशिक्षित किए गए | दलों की संख्या जो प्रशिक्षित किए गए |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | कायाकल्प बैठक | 1 | 12 | 1 |
| 2. | दक्ष प्रशिक्षण | 5 | 114 | 14 |
| 3. | राष्ट्रीय वायरल हैपेटाइटिस | 1 | 28 | 1 |
| 4. | SNA पर खाता व्यक्तियों का प्रशिक्षण | 2 | 49 | 1 |
| 5. | एन0टी0ई0पी0 प्रशिक्षण | 1 | 31 | 1 |
| 6. | एच0पी0 स्टेट डैंटल काउंसिल की बैठक | 1 | 13 | 1 |
| 7. | सी0आर0पी0एन0जी0 का प्रशिक्षण | 1 | 35 | 1 |
| 8. | फार्मासिस्ट के पद के लिए दस्तावेज सत्यापन | 1 | 8 | 1 |
| 9. | एफ एच डब्ल्यू और एफ एच एस के लिए प्रशिक्षण | 10 | 19 | 1 |
| 10. | फार्मसिस्ट के लिए आपूर्ति शृंखला प्रबंधन कार्यशाला | 1 | 28 | 1 |
| 11. | दो दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला | 2 | 33 | 1 |
| 12. | संयुक्त सहायक पर्यवेक्षण | 1 | 23 | 1 |
| 13. | END TB एक दिवसीय कार्यशाला | 1 | 43 | 1 |
| 14. | स्टाफ नर्सों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम | 15 | 76 | 3 |
| 15. | बी0एम0 के लिए प्रशिक्षण | 3 | 68 | 2 |
| 16 | स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण | 3 | 20 | 1 |
| 17. | बी0एम0डब्ल्यू0एम0 राज्य स्तरीय सलाहाकार बैठक | 1 | 14 | 1 |
| 18. | चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण | 3 | 26 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 19. | रेडक्रॉस सोसायटी के अभिविन्यास प्रशिक्षण / बैठक | 1 | 21 | 1 |
| 20. | लिंग और FNHW पर प्रशिक्षण | 1 | 23 | 1 |
| 21. | मैडिकल और सर्जिकल आइटम की खरीद के लिए प्रीबिड मीटिंग | 1 | 12 | 1 |
| 22. | आशा मॉड्यूल 6 और 7 का प्रशिक्षण | 5 | 94 | 3 |
| 23. | OEEE पर प्रशिक्षण | 6 | 73 | 2 |
| 24. | फार्मेसी कौंसिल सदस्यों की बैठक | 1 | 12 | 1 |
| 25. | आर0के0एस0 के प्रशिक्षण | 2 | 55 | 2 |
| 26. | बल स्वास्थ्य के तहत एन0आर0सी0 प्रशिक्षण | 2 | 17 | 1 |
| 27. | फार्मासिस्ट की काउंसलिंग | 1 | 13 | 1 |
| 28. | एन0बी0एस0यू0 प्रशिक्षण | 3 | 24 | 1 |
| 29. | मानसिक स्वास्थ्य पर CHO/SN के लिए चार दिवसीय TOT | 4 | 43 | 2 |
| 30. | फार्मासिस्ट के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम | 3 | 21 | 1 |
| 31. | चिकित्सा अधिकारियों का दस्तावेज सत्यापन | 2 | 16 | 1 |
| 32. | अचल कुष्ट अधिकारियों की पुनश्चर्या प्रशिक्षण | 1 | 13 | 1 |
| 33. | परिवार नियोजन क्षति पूर्ति योजना के संबंध में बैठक | 1 | 18 | 1 |
| 34. | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए पदोन्नति प्रशिक्षण | 2 | 112 | 2 |
| 35. | निरोग क्लिनिक प्रशिक्षण | 6 | 27 | 1 |
| 36. | निकुष्ट पोर्टल पर प्रशिक्षण | 1 | 23 | 1 |
| 37. | सी0एम0ओ0 और एम0एस0 की समीक्षा बैठक | 2 | 62 | 1 |
| 38. | एन0एस0एस0के0 प्रशिक्षण | 2 | 30 | 2 |
| 39. | आर0के0एस0के0 पर परामर्शदाताओं का प्रशिक्षण | 6 | 19 | 1 |
| 40. | एस0एन0सी0 सर्वेक्षण के लिए सामुदायिक स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण | 2 | 48 | 1 |
| 41. | देखभाल साथी कार्यक्रम पर प्रशिक्षण | 3 | 70 | 1 |
| 42. | चिकित्सा अधिकारियों के लिए योग्यता वृद्धि प्रशिक्षण | 5 | 121 | 6 |
| 43. | FBNC प्रशिक्षण | 5 | 15 | 1 |
| 44. | CHO का दस्तावेज सत्यापन | 1 | 16 | 2 |
| 45. | स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम पर प्रशिक्षण | 1 | 44 | 1 |
| 46. | रेडियोग्राफर्स के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम | 3 | 10 | 1 |
| 47. | शिकायत अधिकारियों का प्रशिक्षण | 1 | 78 | 2 |
| 48. | डैंटल मैकेनिक के लिए शिक्षा प्रशिक्षण | 5 | 34 | 1 |
| 49. | डैंटल हाइजिनिस्ट का इंडक्शन ट्रेनिंग | 5 | 16 | 1 |
| 50. | लिपिक स्टाफ के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम | 3 | 26 | 1 |
| 51. | एच0एम0आई0एस0 और पी0एम0आई0एस0 प्रशिक्षण | 1 | 47 | 1 |
| 52. | आर0बी0एस0 के प्रशिक्षण | 5 | 52 | 1 |
| 53. | राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों एवं कायाकल्प का कार्यान्वयन। | 1 | 58 | 1 |
| 54. | एम0ओ0 के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानको एवं कायाकल्प का कार्यान्वयन | 1 | 51 | 1 |
| 55. | स्टेट टास्क फोर्स मीटिंग | 1 | 25 | 1 |
| 56. | एल0टी0 का दस्तावेज सत्यापन | 1 | 8 | 1 |
| 57. | अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन और एमडीपी | 1 | 38 | 1 |

**(ii) क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र छैव, कांगड़ा में 2022–23 में प्रशिक्षण गतिविधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:–**

| क्र. सं. | प्रशिक्षण का ब्यौरा | संख्या जो प्रशिक्षित किए गए | दलों की संख्या जो प्रशिक्षित किए गए | प्रशिक्षण की अवधि (दिनों में) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | इंडक्शन मॉडयूल प्रशिक्षण सीएचओ के लिए | 159 | 5 | 5 |
| 2. | जिला सी0पी0एच0सी0 के तहत मौखिक देखभाल के लिए प्रशिक्षण। | 25 | 1 | 6 |
| 3. | आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों में आम चिकित्सा अधिकारियों/चिकित्सकों को प्रवेश प्रशिक्षण के संबंध में। | 57 | 2 | 6 |
| 4. | एम0ओ0 (आरकेएसके) के लिए नए दिशा केंद्र प्रशिक्षण | 59 | 2 | 4 |
| 5. | पैरामेडिकल स्टाफ के लिए नए दिशा केंद्र (आरकेएसके) | 71 | 2 | 5 |
| 6. | एसएनए और नई बजट लाइनों एफएमआर का कार्यान्वयन | 51 | 1 | 2 |
| 7. | जिला टी0ओ0टी0 एन0बी0एस0यू0/एन0एस0के0/के0एम0सी0 | 19 | 1 | 3 |
| 8. | फार्मासिस्टों के लिए प्रशिक्षण | 47 | 2 | 3 |
| 9. | स्टाफ नर्सों के लिए रोगी सुरक्षा कौशल और व्यासायिक विकास प्रशिक्षण। | 138 | 5 | 5 |
| 10. | क्षमता निर्माण स्वास्थ्य कार्यक्रम उन्मुखीकरण और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए रिकॉर्ड रख–रखाव प्रशिक्षण। | 86 | 4 | 5 |
| 11. | एसैंशियल न्यू बोर्न केयर एनएसएसके/केएमसी | 27 | 1 | 2 |
| 12. | एम0ओ0 और लैब तकनीशियन के लिए रक्त भंडारण प्रशिक्षण। | 20 | 1 | 3 |
| 13. | आरकेएस के तहत क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट/मैडिकल सोशल वर्कर्स के लिए प्रशिक्षण। | 19 | 1 | 6 |
| 14. | बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सों और स्टाफ नर्सों के लिए प्रशिक्षण। | 33 | 2 | 4 |
| 15. | चिकित्सा अधिकारियों के लिए रोगी सुरक्षा कौशल और व्यासायिक विकास प्रशिक्षण। | 82 | 3 | 5 |
| 16. | क्षमता निर्माण प्रशिक्षण स्वास्थ्य कार्यक्रम और वार्ड बहनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण। | 57 | 2 | 5 |
| 17. | स्टाफ नर्सों व दाइयों के लिए दक्ष प्रशिक्षण | 11 | 1 | 5 |
| 18. | टीबी मुक्त भारत टीबी–आईपीसी प्रशिक्षण | 33 | 1 | 1 |
| 19. | फार्मासिस्टों के लिए आपूर्ति शृंखला प्रबंधन | 35 | 1 | 1 |
| 20. | आशा के लिए प्रशिक्षण | 55 | 3 | 5 |
| 21. | चिकित्सकों के लिए प्रशिक्षण | 29 | 1 | 4 |
| 22. | सी0एच0ओ0 के लिए प्रशिक्षण | 58 | 2 | 6 |
| 23. | एच0आई0पी0/एड्स से संबंधित सी0एम0ओ0, बी0एम0ओ0, एस0आर0, एम0एस और एस0एम0ओ0 को प्रशिक्षण। | | 1 | 1 |
| 24. | समीक्षा बैठक जिला कांगड़ा | | 1 | 1 |
| 25. | एम0ओ0, स्वास्थ्य शिक्षकों और स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों के लिए ओईईसी प्रशिक्षण। | | 1 | 1 |
| 26. | मानसिक स्वास्थ्य के लिए सी0एच0ओ0 को प्रशिक्षण | 59 | 2 | 3 |
| 27. | बुजुर्गों और पैलेटिव केयर में एम0ओ0 को प्रशिक्षण | 29 | 1 | 4 |
| 28. | आशा मॉड्यूल 6जी और 7जी | 54 | 2 | 5 |

## 10. उपचारित रोगियों का विवरण

### (i) वर्ष 2022 में विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं में उपचारित रोगियों का विवरण :–

| संस्थान | अंतरंग रोगी | | बहिरंग रोगी | |
|---|---|---|---|---|
| | नए रोगी | पुराने रोगी | नए रोगी | पुराने रोगी |
| 1. चिकित्सालयों में | 481367 | 1080476 | 7265010 | 1274742 |
| 2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में | 37646 | 27434 | 1628382 | 221394 |
| 3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में | 5211 | 2345 | 2908541 | 342936 |
| 4. ई0एस0आई0 चिकित्सालय एवं औषधालय में | 4658 | 15510 | 356964 | 106649 |
| **योग..** | **528882** | **1125765** | **12358897** | **1945721** |

**विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं में किए गए आप्रेशनों का विवरण:–**

| | |
|---|---|
| छोटे आप्रेशन | .. 1,68,072 |
| बड़े आप्रेशन | .. 46,608 |
| **योग..** | **.. 2,14,680** |

**विभिन्न चिकित्सा सस्थाओं में किए गए एमआरआई, सीटी स्कैन अल्ट्रा साउंड एक्सरे का विवरण:–**

| एम आर आई | सी टी स्कैन | अल्ट्रा साउड | एक्स रे |
|---|---|---|---|
| 11375 | 77561 | 256901 | 1343246 |

### (ii) शल्य चिकित्सा उपचारित रोगियों का विवरण :–

| | नए रोगी | पुराने रोगी |
|---|---|---|
| अंतरग रोगी | 39438 | 146215 |
| बहिरंग रोगी | 185653 | 169593 |
| **योग..** | **225091** | **315808** |

### (iii) मनोविकार उपचारित रोगियों का विवरण :–

| | नए रोगी | पुराने रोगी |
|---|---|---|
| अंतरंग रोगी | 1373 | 3511 |
| बहिरंग रोगी | 227460 | 87330 |
| **योग..** | **228833** | **90841** |

## (iv) फीजियोथैरेपी उपचारित रोगियों का विवरण :–

| | नए रोगी | पुराने रोगी |
|---|---|---|
| अन्तरंग रोगी | 14334 | 2498 |
| बहिरंग रोगी | 16832 | 49874 |
| **योग..** | **31166** | **52372** |

## (v) प्रयोगशाला परीक्षणः–

| मद् | रक्त | मल | मूत्र | बलगम | अन्य | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पैथोलोजिकल | 88406 | 128 | 224540 | 12141 | 2795 | 500564 |
| बैक्टिरियोलोजिकल | 51904 | 30 | 44144 | 107366 | 13238 | 705351 |
| हैमटोलोजी | 2447656 | 0 | 64206 | 4110544 | 6837 | 1939090 |
| ब्लड कैमिस्ट्री | 3318229 | 0 | 36346 | 0 | 534 | 3355109 |
| पैरासिटोलोजी | 51744 | 1297 | 16179 | 0 | 566 | 46083 |
| अन्य | 299112 | 1074 | 92803 | 4042 | 79460 | 476491 |
| **योग..** | **6257051** | **2529** | **478218** | **4234093** | **103430** | **11075321** |

## (vi) करसना डायग्नोस्टिकस प्रयोगशाला परीक्षणः–

| मद् | रक्त | मल | मूत्र | बलगम | अन्य | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पैथोलोजिकल | 56448 | 3 | 41219 | 65877 | 298 | 163845 |
| बैक्टिरियोलोजिकल | 10966 | 229 | 43446 | 528 | 3159 | 58328 |
| हैमटोलोजी | 430153 | 0 | 13275 | 0 | 10161 | 453589 |
| ब्लड कैमिस्ट्री | 780314 | 0 | 47173 | 0 | 66015 | 893502 |
| पैरासिटोलोजी | 19793 | 1 | 251 | 0 | 0 | 20045 |
| सेरोलोजी | 29131 | 0 | 0 | 0 | 3256 | 32387 |
| अन्य | 141184 | 10 | 34861 | 0 | 99149 | 275204 |
| **योग..** | **1467989** | **243** | **180225** | **66405** | **182038** | **1896900** |

## 11. सूचना का अधिकार अधिनियम :–

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (A) b-(xvi) के अंतर्गत सूचना उपलब्ध करवाने के लिये निम्न अधिकारियों को नामित किया गया है:–

| क्र. सं. | राज्य लोक सूचना अधिकारी का नाम | पदनाम तथा कार्यालय का पता | अधिकार क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | लोक प्राधिकारी | प्रधान सचिव (स्वास्थ्य), हिमाचल प्रदेश सरकार। | हिमाचल प्रदेश राज्य |
| 2. | अपील प्राधिकारी | निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हि0प्र0। | हिमाचल प्रदेश राज्य |
| 3. | राज्य लोक सूचना अधिकारी। | निदेशक दंत स्वास्थ्य सेवाएं, हि0प्र0 | हिमाचल प्रदेश राज्य |
| | | निदेशक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनिमय | हिमाचल प्रदेश राज्य |
| | | प्रधानाचार्य इंदिरा गांधी मैडिकल कालेज, शिमला | हिमाचल प्रदेश राज्य |
| | | प्रधानाचार्य डा0 राजेंद प्रसाद राजकीय मैडिकल कालेज, टांडा। | हिमाचल प्रदेश राज्य |
| | | प्रधानाचार्य लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक। | हिमाचल प्रदेश राज्य |
| | | प्रधानाचार्य राधा कृष्णन चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर। | हिमाचल प्रदेश राज्य |
| | | प्रधानाचार्य डॉ0 वाई0एस0पी0 चिकित्सा महाविधालय नाहन | हिमाचल प्रदेश राज्य |
| | | प्रधानाचार्य पडित जवाहर लाल नेहरु चिकित्सा महाविद्यालय चम्बा। | हिमाचल प्रदेश राज्य |
| | | विशेष सचिव/संयुक्त सचिव /अवर सचिव | हिमाचल प्रदेश राज्य |
| 4. | लोक सूचना अधिकारी। | मिशन निदेशक | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हि0प्र0। |
| | | अतिरिक्त निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हिमाचल प्रदेश | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय हि0प्र0। |
| | | निदेशक परियोजना | एड्स नियंत्रण सोसायटी हि0 प्र0 । |
| | | मुख्य चिकित्सा अधिकारी | अपने–अपने जिले के लिये। |
| | | प्रधानाचार्य, राज्य संस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिमहल शिमला/क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र छेब (कांगड़ा) | अपने–अपने संस्थान के लिये । |
| | | चिकित्सा अधीक्षक | अपने–अपने संस्थान के लिये । |
| | | उपलोक विश्लेषक कंडाघाट, सोलन | संयुक्त जांच प्रयोगशाला कंडाघाट। |
| | | सहायक औषधि नियंत्रक बद्दी, सोलन | हिमाचल प्रदेश में औषधि नियंत्रण प्रशासन के लिये। |
| 5. | सहायक लोक सूचना अधिकारी। | खंड चिकित्सा अधिकारी | अपने–अपने खंड के लिये। |

## 12. प्रदेश में राज्य, जिला तथा खण्ड स्तर के कार्यालयों में दूरभाष की सूची

### सचिवालय स्तर पर

| क्रमांक | पदनाम | कोड | कार्यालय टेलीफोन नं0 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | प्रधान सचिव (स्वास्थ्य), हि0 प्र0 | 0177 | 2621904 |
| 2. | विशेष सचिव (स्वास्थ्य), हि0 प्र0 | 0177 | 2621815 |
| 3. | संयुक्त सचिव (स्वास्थ्य), हि0 प्र0 | 0177 | 2628505 |
| | **निदेशालय स्तर पर** | | |
| 4. | निदेशक स्वास्थ्य सेवायें, हि0 प्र0 | 0177 | 2621424 |
| 5. | मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हि0 प्र0 | 0177 | 2673505 |
| 6. | अतिरिक्त निदेशक (स्वास्थ्य), हि0 प्र0 | 0177 | 2628252 |
| 7. | संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य सेवायें–I | 0177 | 2620661 |
| 8. | संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य सेवायें–II | 0177 | 2621846 |
| 9. | संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य सेवायें–III | 0177 | 2625726 |
| 10. | परियोजना निदेशक (एड्स नियंत्रण कार्यक्रम) | 0177 | 2625857 |
| 11. | मुख्य कार्यकारी अधिकारी (आर.एस.बी.वाई.) | 0177 | 2629802 |
| 12. | सहायक निदेशक (जनानकी एवं अनुसंधान) | 0177 | 2621720 |
| 13. | सहायक निदेशक (सांख्यिकीय) | 0177 | 2621720 |
| | **जिला स्तर पर** | | |
| 14. | मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिलासपुर | 01978 | 222586 |
| 15. | मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्बा | 01899 | 222223 |
| 16. | मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमीरपुर | 01972 | 222223 |
| 17 | मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला | 01892 | 224874 |
| 18. | मुख्य चिकित्सा अधिकारी, किन्नौर स्थित रिकांगपिओ | 01786 | 222922 |
| 19. | मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुल्लू | 01902 | 223077 |
| 20. | मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लाहौल–स्पीति स्थित केलांग | 01900 | 222243 |
| 21. | मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मण्डी | 01905 | 222177 |
| 22. | मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शिमला | 0177 | 2657225 |
| 23. | मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरमौर स्थित नाहन | 01702 | 222543 |
| 24. | मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सोलन | 01792 | 224181 |
| 25. | मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊना | 01975 | 226064 |
| | **वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक** | | |
| 26. | वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, टांडा (कांगड़ा) | 01892 | 287187 |
| 27. | वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, आई.जी.एच., शिमला | 0177 | 2658845 |
| 28. | वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, कमला नेहरू अस्पताल, शिमला | 0177 | 2624841 |
| 29. | वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, मनोरोग चिकित्सालय, शिमला | 0177 | 2633601 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 30. | वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, टी.बी.एस. धर्मपुर, सोलन | 01792 | 264022 |
| 31. | वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, आंचलिक चिकित्सालय धर्मशाला | 01892 | 227595, 224812 |
| 32. | वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, आंचलिक चिकित्सालय, मण्डी। | 01905 | 222928 |
| 33. | वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, आंचलिक चिकित्सालय, शिमला। | 0177 | 2759041 |
| 34. | वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, बिलासपुर | 01978 | 221242 |
| 35. | वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, चम्बा | 01899 | 225170 |
| 36. | वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, हमीरपुर | 01972 | 222222 |
| 37. | वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, कुल्लू | 01902 | 222350 |
| 38. | वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, नाहन | 01702 | 224890 |
| 39. | वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, सोलन | 01792 | 223638 |
| 40. | वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, ऊना | 01975 | 223068 |
| 41. | वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, रामपुर | 01782 | 234969 |
| 42. | वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, रोहडू | 01781 | 240011 |
| 43. | वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, पालमपुर | 01894 | 234101 |
| | **अन्य कार्यालय** | | |
| 44. | प्रधानाचार्य राज्य संस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परिमहल, शिमला। | 0177 | 2620226 |
| 45. | प्रधानाचार्य क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, छैब, कांगड़ा। | 01892 | 265472 |
| 46. | उप–लोक विश्लेषक (खाद्य) कण्डाघाट, सोलन | 01792 | 256145 |
| 47. | सहायक औषधि नियंत्रक बद्दी, सोलन | 01795 | 244288 |
| | **खण्ड स्तर पर** | | |
| 48. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, घुमारवीं, बिलासपुर | 01978 | 255238 |
| 49. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, मारकण्ड, बिलासपुर | 01978 | 286026 |
| 50. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, झण्डुता, बिलासपुर | 01978 | 272024 |
| 51. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, श्री नैना देवी जी, बिलासपुर। | | |
| 52. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, भरमौर, चम्बा | 01895 | 225044 |
| 53. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, किलाड़, चम्बा | 01897 | 242246 |
| 54. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, पुखरी, चम्बा | 01899 | 202952 |
| 55. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, चुड़ी, चम्बा | 01899 | 279629 |
| 56. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, किहार (सलूनी), चम्बा | 01896 | 247638 |
| 57. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, तीसा, चम्बा | 01896 | 227050 |
| 58. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, समोट, चम्बा | 01899 | 227011 |
| 59. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, टौणी देवी, हमीरपुर | 01972 | 278434 |
| 60. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, बड़सर, हमीरपुर | 01972 | 288034 |
| 61. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, नादौन, हमीरपुर | 01972 | 232248 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 62. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, भोरंज, हमीरपुर | 01972 | 266026 |
| 63. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सुजानपुर टिहरा, हमीरपुर | 01972 | 272043 |
| 64. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, गलोड़, हमीरपुर | 01972 | 242027 |
| 65. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, थुरल, कांगड़ा | 01894 | 276634 |
| 66. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, नगरोटा बगवां, कांगड़ा | 01892 | 252294 |
| 67. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, शाहपुर, कांगड़ा | 01892 | 238038 |
| 68. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, गगथ, कांगड़ा | 01893 | 275042 |
| 69. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, इन्दौरा, कांगड़ा | 01893 | 241239 |
| 70. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, ज्वालामुखी, कांगड़ा | 01970 | 222237 |
| 71. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, भवारना, कांगड़ा | 01894 | 247158 |
| 72. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, नगरोटा सूरियां, कांगड़ा | 01893 | 265042 |
| 73. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, डाडासिबा, कांगड़ा | 01970 | 289237 |
| 74. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, गोपालपुर, कांगड़ा | 01894 | 252226 |
| 75. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, त्याड़ा, कांगड़ा | 01892 | 232313 |
| 76. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, महाकाल, कांगड़ा | 01894 | 265301 |
| 77. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, फतेपुर, कांगड़ा | — | — |
| 78. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, निचार, किन्नौर | 01786 | 252275 |
| 79. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, पूह, किन्नौर | 01785 | 232338 |
| 80. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सांगला, किन्नौर | 01786 | 242403 |
| 81. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, जरी, कुल्लू | 01902 | 276257 |
| 82. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, नग्गर, कुल्लू | 01902 | 248294 |
| 83. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, बंजार, कुल्लू | 01903 | 222214 |
| 84. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, आनी, कुल्लू | 01904 | 253334 |
| 85. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, निरमण्ड, कुल्लू | 01904 | 255129 |
| 86. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, काजा, लाहौल–स्पीति | 01906 | 222218 |
| 87. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, गौंधला, लाहौल–स्पीति | 01900 | 252119 |
| 88. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, करसोग, मण्डी | 01907 | 222218 |
| 89. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, जंजैहली, मण्डी | 01907 | 256512 |
| 90. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, बगसैड, मण्डी | 01907 | 254225 |
| 91. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, रोहाण्डा, मण्डी | 01907 | 274120 |
| 92. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, संधोल, मण्डी | 01905 | 273223 |
| 93. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, बल्द्राडा, मण्डी | 01905 | 258053 |
| 94. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, रत्ती, मण्डी | 01905 | 242296 |
| 95. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, कोटली, मण्डी | 01905 | 281231 |
| 96. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, पधर, मण्डी | 01908 | 260228 |
| 97. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, लड़भड़ोल, मण्डी | 01908 | 278140 |
| 98. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, कटौला, मण्डी | 01905 | 269451 |
| 99. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, कुमारसैन, शिमला | 01782 | 240063 |
| 100. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, ननखड़ी, शिमला | 01782 | 225609 |
| 101. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, कोटखाई, शिमला | 01783 | 255327 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 102. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, चिड़गांव, शिमला | 01781 | 277223 |
| 103. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, मशोबरा, शिमला | 0177 | 2740230 |
| 104. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, मतियाणा, शिमला | 01783 | 225222 |
| 105. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, टिक्कर, शिमला | 01781 | 233400 |
| 106. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, नेरवा, शिमला | 01783 | 264338 |
| 107. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, रामपुर, शिमला | 01782 | 233602 |
| 108. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सुन्नी, शिमला | 0177 | 2786634 |
| 109. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सराहन, सिरमौर | 01799 | 236731 |
| 110. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, शिलाई, सिरमौर | 01704 | 278542 |
| 111. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, संगड़ाह, सिरमौर | 01702 | 248191 |
| 112. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, राजपूरा, सिरमौर | 01704 | 248618 |
| 113. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, धगेड़ा, सिरमौर | 01702 | 223097 |
| 114. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी राजगढ़ सिरमौर | — | — |
| 115. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, अर्की, सोलन | 01796 | 220368 |
| 116. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सायरी, सोलन | 01792 | 288056 |
| 117. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, धर्मपुर, सोलन | 01792 | 264025 |
| 118. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, नालागढ़, सोलन | 01795 | 221204 |
| 119. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, चण्डी, सोलन | 01792 | 278555 |
| 120. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, हरोली, ऊना | 01975 | 284022 |
| 121. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, गगरेट, ऊना | 01976 | 241319 |
| 122. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, थाना–कलां, ऊना | 01975 | 273036 |
| 123. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, अम्ब, ऊना | 01976 | 260274 |
| 124. | खण्ड चिकित्सा अधिकारी, बसदेहरा, ऊना | — | — |

यह सूचना विभागीय वैबसाईट **www.hphealth.nic.in** पर भी उपलब्ध है ।

राजकीय मुद्रणालय, हि० प्र०, शिमला—1352—डी०एच०एस० / 2023–6–10–2023—120 प्रतियां ।